मध्यप्रदेश का बजट

एवं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का विकास
(विश्लेषणात्मक अध्ययन)

हमारा अधिकार हमारी आवाज
PACS
Our rights Our Voice

PACS
(Poorest Areas
Civil Society)

Dalit Rights are Human Rights - Cast out Caste
NCDHR

Swadhiikar
National Campaign on Dalits
Human Rights (NCDHR)
8/1, 2nd Floor, South Patel Nagar
New Delhi-10008, India

मध्यप्रदेश गान

15334
CLIC
SOPHEA

सुख का दाता, सब का साथी, शुभ का यह संदेश है,
मां की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्यप्रदेश है।
कविता, न्याय, वीरता, गायन सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का यह, मैं इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहां,
महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहां,
उर्वर भूमि, सघन वन, रत्न, सम्पदा जहां अशेष है,
स्वर-सौरभ-सुषमा से मंडित मेरा मध्यप्रदेश है।

चंबल की कल-कल से गुंजित कथा तान, बलिदान की,
खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की।
भीमबैठका आदिकला का पत्थर पर अभिषेक है,
अमृत कुण्ड अमरकंटक में, ऐसा मध्यप्रदेश है।

विंध्याचल सा भाल, नर्मदा का जल जिसके पास है,
यहां ज्ञान विज्ञान कला का, लिखा गया इतिहास है।
कविता, न्याय, वीरता, गायन सब कुछ यहां विशेष है,
हृदय देश का यह, मैं इसका, मेरा मध्यप्रदेश है।

सुख का दाता सब का साथी शुभ का यह संदेश है,
मां की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्यप्रदेश है।

विषय सूची

1.	विषय सूची-	1
2.	सम्पादकीय टीम-	2
3.	सम्पादकीय	3
4.	मध्यप्रदेश राज्य एक परिचय	6
5.	मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति की स्थिति	8
6.	मध्यप्रदेश में अनुसूचित जन जाति की स्थिति	9
7.	अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना...	12
8.	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	15
9.	बजट वर्ष 2013-14	18
10.	बजट वर्ष 2013-14 अनुसूचित जाति उपयोजना	20
11.	योजना व प्रावधानों का विवरण	26
12.	वर्ष 2013-14 के बजट की महत्वपूर्ण बातें	28
13.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को...	30
14.	म.प्र. में स्वाथ्य सेवाओं की स्थिति	33
15.	अन्य राज्यों की तुलना में मप्र...	35
16.	योजनावार प्रावधानों का विवरण	36
17.	उच्च शिक्षा विभाग मप्र शासन को दिया गया आवंटन	38
19.	चिकित्सा शिक्षा विभाग मप्र शासन को...	40
20.	बजट एवं मानव विकास सूचनांक	41
21.	निजी क्षेत्र में एस.एसी/एस.टी...	47
22.	न्याय सुरक्षा में अजजा/जजा	48

परिशिष्ट

1.	अन्य राज्यों की तुलना में	53
2.	गाइडलाइन फॉर एस.सी.एस.पी	54
3.	दी शेड्यूल्ड एरिया ऑर्डर	55
4.	आदिवासी जिलों की सूची	57
5.	विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के मापदंड	58
6.	अनुसूचित जाति छात्रावासों/आश्रमों का संचालन	59
7.	मप्र स्थित प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान	60
8.	अनुसूचित जातियों की जातिवार जनसंख्या	61
9.	वार्षिक बजट संक्षेपिका	63

संपादकीय टीम

संपादक - आर. आर. गंगारेकर (पूर्व आई.ए.एस.)

सह संपादक - निर्मल दास मानकर

मुख्य पृष्ठ आवरण -किरण कुमार तायड़े

सहयोगी टीम - डॉ. एच.बी. सेन.,शिखा सक्सेना, के.एस.एस. रायसेन, रेखा गुजरे, नरेन्द्र डिगरसे, प्रदीपन बैतूल, अशोक मंदरे, शबाना आजमी, सत्यकाम जन कल्याण समिति छिन्दवाड़ा, भारती सोनकर, दक्ष अम्बराज इम्पावरमेन्ट सोसाईटी भोपाल, पल्लवी माली देवकान्त त्रिपाठी, संकेत भोपाल, जगदीश लाल, महेन्द्र कुमार सी.एच.एस.जे. भोपाल, सन्दीप मानकर पत्रकार।

मार्गदर्शन- एन.पाल दिवाकर महासचिव, बीना जोसफ(नेशनल कोलियेसन ऑन एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. लेजिस्लेशन) विजय परमार कन्विनर एन.सी.डी.एच.आर. दिल्ली. आशा कोतल ऑल इण्डिया दलित महिला अधिकार मंच दिल्ली, प्रशान्त रेमस, राष्ट्रीय समन्वयक ओपन बजट वॉच, तारा पद, मोहित जैन एन.सी.डी.एच.आर. दिल्ली।

जानकारी संकलन स्त्रोत - मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित बजट अनुमान एवं अनुदानों की मांगें, सम्बन्धी पुस्तिकाओं से एवं संचालक जनगणना, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित रिर्पोट 2001 एवं 2011 से ली गयी है। पत्राचार एवं सुझाव हेतु **पता - निर्मल दास मानकर, राज्य समन्वयक ओपन बजट वॉच स्वाधिकार गॉधी भवन श्यामला हिल्स भोपाल म.प्र. पिन-नं. 462013**

मो. न. 8989113762, 9303057516

ईमेल- nirmal@ncdhr.org.in

संपादक- आर.आर. गंगारेकर, पूर्व आई.ए.एस., मो. नं. 9424473728

ई-मेल gangarekar.rewaram@gmail.com

सहयोग - पैक्स भोपाल म.प्र.

Community Health Library and Information Cell (CLIC)
CPHE - SOCHARA
Koramangala
Bangalore - 34

IC-100
15334

विन्रम निवेदन,

जय-भीम साथियों !

अनुसूचित जाति/ जनजातियों के लिय विशेष बजट प्रावधान इस आशय से रखा गया कि समाज के इन अति पिछड़े समुदायों को समानता के स्तर पर लाया जाना प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली का संवैधानिक उत्तरदाईत्व है। राज्य प्रशासनीक सेंवा एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के दौरान अनुसूचित जाति एवं जन जातियों की समस्याओं का साक्षात्कार करने का भरपूर अवसर मिला। निकट से इन लोगों की दिनचर्या, रहन-सहन, रीति-रिवाज, व्यवसाय, रोजगार एवं पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का अनुभव प्राप्त हुआ। स्वयं भी अनुसूचित जाति का सदस्य होने के कारण समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षिक स्थिति का भलीभांति ज्ञान होते हुए भी इन समस्याओं। कठिनाईयॉं एवं शासन के व्यवहार का प्रत्यक्ष तथा ऑंखों देखा कार्य व्यवहार देखने का पर्याप्त अवसर मिला है।

समाज की जातिगत दुर्भावना पक्षपात भेदभाव तिरस्कार का सामना भी किया, विरोध भी किया और निराकरण का उपाय भी किया। पंरतु यह कष्टप्रद व्यवहार समूल नष्ट नहीं हो पा रहा है। इस के अनेक कारण हो सकते हैं, सबसे प्रभावशाली कारण शासन-प्रशासन के वर्ग के हाथ में होना पाया है। संविधान में अजा./अ.ज.जा. वर्गो को आरक्षण से लेकर इनके हितों की रक्षा का उत्तरदाईत्व केन्द्र तथा राज्य शासन को सौपा गया है। आजादी के बाद इन वर्गों का हर एक व्यक्ति शासन की ओर आशा-भरी नजरों से देखता रहा है और आशा करता रहा है कि उन्हें भी स्वराज का स्वाद चखने को मिलेगा। पंरतु ऐसा हो न सका। स्वतंत्रता के 30-35 वर्षो के बाद माननीय श्री योगेन्द्र मकवाना जी, तत्कालीन राज्य मंत्री गृहमंत्रालय एवं श्री पी.एस. कृष्णन् आदि सामाजिक चेतनाशील उदार हदृय वाले दूरदर्शीय विद्वानों के प्रयासों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये विशेष घटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना प्रांरभ हुई। इन योजनाओं में अ.जा./ज.जा. वर्गों को लाभ पहुँचानें के लिये केन्द्र तथा राज्यों को प्रथक से धनराशि का प्रावधान (बजट प्रावधान) करना सुनिश्चित किया गया। वित्तीय वर्ष 1975 से लेकर आज तक अ.जा./ज.जा. वर्ग के लिये विशेष बजट प्रावधान रखा जाता रहा है।

विगत 5-6 वर्षो से बजट के संबंध में संकेत नामक एनजीओं द्वारा विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रकाशित होती रही है। इन समीक्षा प्रपत्रों का अध्ययन करने की रूचि के कारण बजट विषय पर गंभीरता से अध्ययन करने की इच्छा जॉंगृत हुई। ओपन बजट वॉच के राष्ट्रीय समन्वयक श्री प्रशांत रेमस द्वारा दूरभाष पर आग्रह किया गया कि 'मध्यप्रदेश का बजट एवं अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का

विकास' के संबंध में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जावे। जिसकी विषय वस्तु संकलित करने का कार्य मुझे करने का विचार रखा। मुझे यह कार्य अत्यंत कठीन परंतु उत्साह जनक लगा और मन में सुप्त विचारों को जागृत होनें का मौका मिला और पुस्तक को स्वरूप देने का कार्य प्रारंभ किया गया। मेरे मित्र श्री निर्मल दास मानकर इस संबंध में एन.सी.डी.एच.आर. संस्था की ओर से पहले से ही कार्य कर रहे हैं। उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ उनके द्वारा संकलित बजट संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियॉं एवं विशलेषण संबंधी आलेख भी इस पुस्तक में सम्मिलित किये गये हैं।

संकेत के श्री देवकांत त्रिपाठी जी, से भी बजट के अध्ययन की शिक्षा लेने से हमारा काम और आसान हो गया है। श्री निर्मल दास मानकर के साथी श्री जगदीश जी, जो सी.एच.एस.जे. नामक संस्था से संबंधित है उनका भी वैचारिक एवं लेखन संबंधी प्रसंशनीय सहयोग प्राप्त हुआ। युवा एवं उत्साही श्री संदीप मानकर (संपादक दैनिक वांटेड टाईम्स) से पुस्तक के प्रकाशन के संबंध में राय मांगी गई तो उन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में उत्तरदाईत्व वहन करने का सराहनीय कार्य किया। प्रस्तुत पुस्तक के अधीकांश आकड़े म.प्र. शासन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाने वाली बजट पुस्तिकाओं से लिये गये हैं। विभिन्न सांख्यिकीय जानकारियां जैसे जनसंख्या स्वास्थ्य उच्च शिक्षा अ.जा./ज.जा. की आर्थिक स्थिति आदि का संकलन समय-समय पर प्रकाशित शासकीय प्रतिवेदनों एवं रिपोटर्स के आधार पर संकलित की गई है, प्रयास यह किया गया है कि पुस्तक में जो तथ्य अंकित है। उनके स्त्रौतों का भी उल्लेख किया जावें।

हमारा उद्देश्य आलोचना करना नहीं रहा है, तथ्यों की वास्तविकता का आंकलन स्वविवेक से किया गया है। हो सकता है इन आकड़ों और तथ्यों को भिन्न-भिन्न व्यक्ति अलग-अलग नजरिये से आंकेगा। पुस्तक का एक मात्र लक्ष्य अ.जा./ज.जा. के हितों के विषय में रूचि रखने वालें उन तमाम विद्धजनों, विचारकों, समाज सुधारकों, चिंतकों, राजनैतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वालों का ध्यान, अ.जा./ज.जा. की वर्तमान स्थिति में कैसे सुधार लाया जावे ? इस प्रश्न का उत्तर तलाशने का सामुहिक प्रयास व सहयोग प्राप्त करना है।

पाठकों के प्रत्येक सुझाव, सलाह, प्रेरणा, संशोधन, आलोचना आदि को विनम्रता पूर्वक, अंगीकार, स्वीकार किया जावेगा। हमें अत्यंत खुशी होगी यदि इस पुस्तक के कलेवर, विषय वस्तु के संबंध में हमें उपयुक्त परामर्शदायी आलेख प्राप्त हो ताकि भविष्य में उनका समावेश किया जा सकें। मैं उदारता पूर्वक विद्वान पाठकों के आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं।

रेवाराम गंगारेकर
पूर्व आई.ए.एस., भोपाल

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय

इतिहास के कुछ अमूल्य क्षण ऐसे होते हैं, जब व्यक्ति और उसकी कृति दोनों एकात्मक स्थापित कर भविष्य के निर्माण में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही महान् व्यक्तित्व था बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का, जिन्होंने भारतीय संविधान की उद्देशिका के माध्यम से भारत के स्वर्णिम भविष्य के सपनों को साकार करने के संकल्पों का निरूपण किया था। वे स्वप्न थे – ''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रम) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

इन सपनों को साकार करने के लिए संविधान में मूलभूत अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों का समावेश किया गया है। एक ओर कानून की निगाह में सबकी बराबरी, रोजगार प्राप्त करने के अवसरों की समानता और अपनी इच्छा से व्यापार या व्यवसाय करने को मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित किया गया तथा दूसरी ओर सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने के नीति निर्देशक सिद्धान्तों की व्याख्या की गई है। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कहा गया कि सरकार पुरूष व स्त्री दोनों के लिए जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन जुटाएगी। काम के अधिकार, शिक्षा के अधिकार दिलाने के साथ-साथ बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता के मामले में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगी। भौतिक साधनों के उचित सामित्व, नियंत्रण और वितरण को जन हिताय स्वरूप देने की बात कही गई है। संविधान की उद्देशिका में वर्णित प्रजातंत्र की आर्थिक परिभाषा में अधिकाधिक लोगों का आर्थिक कल्याण एवं सभी को सामाजिक, आर्थिक न्याय प्राप्त कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। चूँकि संविधान और उसमें वर्णित मूल संरचना सर्वकालिक होती है। इसलिए वह वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों की भलाई का आश्वासन देती है।

मध्यप्रदेश राज्य एक परिचय

जैसा मध्यप्रदेश राज्य के नाम से पता चलता है, यह भारत में बिल्कुल मध्य में स्थित हैं, राज्य की सीमा पाँच अन्य राज्यों से जुड़ी हुई हैं। जैसे- उत्तर-पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और उत्तरपूर्व में छत्तीसगढ़ स्थित है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किमी तक फैला है। राज्य सभी प्रकार से पूरे वर्ष भर सामान्य खुशनुमा जलवायु के समान प्रवृत्त रहता है। इसके प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं - मालवा, निमाड़, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड, चम्बल एवं महाकौशल। यहाँ की प्रमुख भाषा हिन्दी है और आस-पास के स्थानों और भोपाल सिरोंज, बुरहानपुर, कुरवाई आदि स्थानों पर हिन्दी एवं उर्दू भाषा को मिश्रित कर आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य बोलियाँ विभिन्न क्षेत्रों जैसे बुन्देलखण्ड में - बुन्देली, मालवा में - मालवी, निमाड़ में - निमाड़ी, बघेलखण्ड में - बघेली और झाबुआ, मण्डला, डिण्डौरी, बालाघाट और सिवनी जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में भित्ती एवं गोंडी बोली का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है।

राज्य के अधिकांश लोगों का आजीविका का साधन कृषि है। लगभग 150.75 लाख हेक्टर क्षेत्र खेती के अन्तर्गत आता है और कुल कार्यरत जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। सोयाबीन, गेहूँ, ज्वार, मक्का, धान, मसूर, तुअर, सरसों यहाँ की मुख्य फसलें हैं। प्रदेश की प्रमुख नदियाँ - नर्मदा, चम्बल, माही, तासि, बेतवा, सोन, बाणगंगा, केन, पेंच, तवा और क्षिप्रा है।

मध्यप्रदेश को 94689.38 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र होने के कारण देश का सबसे बड़ा वनक्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है, जिसमें से 61886.49 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन है। 31098 वर्ग किमी संरक्षित वन और 1705.85 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन के अन्तर्गत आता है।

जनसंख्या (जनगणना 2011 अनुसार)

(आँकड़े हजार में)

मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या	72627
पुरूष	37612
महिला	35015
ग्रामीण	52557
शहरी	20070
अनुसूचित जाति	11342
अनुसूचित जनजाति	15136

कामकाजी जनसख्या

(आँकड़े हजार में)

कुल कामकाजी आबादी	31574
मुख्य कामकाजी आबादी	22702
सीमान्त कामकाजी आबादी	8872
किसान	8215
कृषि श्रमिक	6631
पारिवारिक उद्योगों में कार्यरत	647
अन्य कार्यो में लगे लोग	7209
गैर कामकाजी आबादी	41053

शिक्षा

(आँकड़े हजार में)

प्राथमिक विद्यालय	83412
सहायता प्राप्त प्रा. विद्यालय निजी	852
सदस्यता रहित प्रा. विद्यालय निजी	12533
शासकीय उच्च प्रा. विद्यालय	28479
सहायता प्राप्त उच्च प्रा. विद्या. निजी	140
सहायता रहित उच्च प्रा. विद्या. निजी	14773
कुल हाईस्कूल निजी सहित	6636
कुल हायर सेके. स्कूल निजी सहित	5211

स्वास्थ्य सेवाऐं

(आँकड़े हजार में)

जिला अस्पताल	51
शहरी सिविल अस्पताल	64
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1157
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	334
उपस्वास्थ्य केन्द्र	8764
औषधालय	92
टी.बी. अस्पताल	07

साक्षर जनसंख्या एवं शिक्षा

(आँकड़े हजार में)

कुल साक्षर	43827
पुरूष	25848
महिला	17979
ग्रामीण	28991
नगरीय	14836

जीवनांक एवं स्वास्थ्य केन्द्र

(आँकड़े प्रतिशत में)

	मध्यप्रदेश	भारत
जन्मदर (प्रति हजार)	26.9	21.8
मृत्यु दर	8.2	7.1
शिशु मृत्यु दर	5.9	4.4

(प्रति हजार जीवित जन्म पर)

उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय की संख्या)

कुल महाविद्यालय	429
तकनीकी शिक्षा संस्थाऐं	358

म.प्र. में अनुसूचित जाति की स्थिति

देश की जातिगत् व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति को सामाजिक सम्मान ही नहीं, बल्कि जीने का अधिकार भी प्रदान नहीं किया गया। शासक वर्गों की सेवा करने वाला यह लोग श्रम विभाजन के आधार पर अधिक से अधिक अमले करता, पर उनके नसीब में कम से कम इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता कि सम्मान से शरीर और आत्मा को एक रख सके। अनुसूचित वर्ग को शिक्षा से ही नहीं, उच्च वर्गीय व्यवसाय से भी दूर रखा गया। अनेक प्रकार के पाखण्ड पूर्ण विधि-विधान ने इन करोड़ों अनुसूचित जाति के लोगों में किसी प्रकार का चेतना भी नहीं छोड़ा। पिछले 65 वर्षों में अनुसूचित जाति के उत्थान के अनेक प्रयासों के बावजूद वे अभी भी देश के साढ़े पाँच लाख गाँवों के बाहर झोपड़ियों में असुविधा, दरिद्रता, अस्पृश्यता और निरादर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी सेवाओं और उनके द्वारा बनाई गई चटाई, डलिया, झाड़ू आदि वस्तुओं के मूल्य भी बाजार में न्यूनतम हो रहे हैं। उनके द्वारा बनाई जा रही वस्तुओं का औद्योगिकरण होने से वे बेरोजगार हो गये, जिसके कारण उनका आर्थिक आधार भी शनैः-शनैः पिछड़ता चला गया, जिससे उनका सामाजिक अनिष्ठ के साथ-साथ आर्थिक अनर्थ का डंस भी भोगना पड़ रहा है।

अनुसूचित जातियों के विकास के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश राज्य ने अनेक लाभकारी योजनाओं का शुभारम्भ किया, परन्तु यह समझ आजादी के लगभग 30-35 वर्षों बाद सन् 1980-85 की छठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ विशेष घटक योजना (Special Component Plan) बाद में अनुसूचित जाति उपयोजना के नाम से प्रचलित हुई है। अनुसूचित जातियों की जातिवार जनसंख्या (जनगणना 2001 के अनुसार) परिशिष्ट 8 में दी गई है।

म.प्र. में अनुसूचित जनजाति की स्थिति

मध्यप्रदेश भारत में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर है। अजजा के लोग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। लगभग 93.6 प्रतिशत अजजा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत है। झाबुआ जिले में 86प्र: डिण्डोरी जिले में 64.5प्रतिशत मण्डल में 57.2प्रतिशत अजजा के लोग निवास करते हैं। सन् 2001 की जनसंख्या के अनुसार कुल 46प्रतिशत अजजा मध्यप्रदेष में निवास करती है। इसमें से 37.7प्रतिशत भील है गोड़ 35.6प्रतिशत है तथा चार अन्य अजजा जिनमें कोल, कोरकू, सहरिया और बैगा जनजातियों की संख्या का प्रतिशत 19.9प्रतिशत है। इस प्रकार भील, गोंड, कोल, क़ोरकू, सहरिया और बैगा यह छः जानजातियों की जनसंख्या कुल अजजा जनसंख्या का 92.2प्रतिशत है। शेष मांझी, खैरवार, मवासी, पनिका की जनसंख्या 2.2प्रतिशत है। शेष 33 अजजा की जातियों की संख्या मात्र 2.5प्रतिशत है। मीना, औंध, बिरहुल, परगा और नागेसिया जनजातियों की जनसंख्या 500 से भी कम है।

भील प्रमुख रूप से झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन जिलों में निवास करते हैं। गौड़ प्रमुख रूप से छिन्दवाड़ा, मण्डला, बैतूल, सिवनी, शहडोल जिले में निवास करते हैं। अन्य चार प्रमुख अजजा, जिनमें कोल, कोरकू, सहरिया, बैगा लोग रीवा, खण्डवा, बुरहानपुर, शिवपुरी, शहडोल जिलों में निवासरत हैं। अनुसूचित जनजाति का शिक्षा का सार निम्नानुसार है:–

	म.प्र. राज्य	गोंड	कोरकू	कोल	भील	बैगा	सहरिया
पुरूष	41.2	50.3	38.8	35.9	34.5	32.3	28.7
स्त्री	28.4	36.4	24.5	22.9	23.0	20.1	15.9

उपरोक्त शिक्षा का सार यह दर्शाता है कि अजजा के लोग शैक्षणिक रूप से अति पिछड़े हुए हैं।

रोजगार की दृष्टि में अजजा की स्थिति भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं। प्रमुख रूप से 4 आर्थिक गतिविधियों में संलग्न श्रमिक का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

आर्थिक गतिविधियाँ –

	समस्त अजजा	गोंड	कोरकू	कोल	भील	बैगा	सहरिया
कृषक	46.8	46.8	38.8	12.0	60.7	32.6	28.2
कृषि मजदूर	42.1	42.5	54.5	70.4	31.4	54.7	56.9
घरेलू धन्धे	1.1	1.4	1.5	1.0	0.3	1.8	0.9
अन्य कार्य	10.0	9.3	5.2	16.6	7.6	10.9	14.0

स्त्रोत – रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया एवं जनगणना संचालनालय, मध्यप्रदेश

उपरोक्तानुसार अजजा में रोजगार की स्थिति को देखने से स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांष लोग खेतीहर मजदूर हैं। घरेलू उद्योगों में नाम मात्र के लोग हैं। रोजगार का अभाव स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होता है, जिसका सीधा प्रभाव इन वर्गों की गरीबी की स्थिति को दर्शाता है।

मध्य प्रदेश की आदिवासी जन जातियां वनों मे निवास करती है। वहाँ की प्रचूर वन सम्पदा, नैसर्गिक भू संरचना, हरेभरे वनों का विस्तार, पर्वत श्रृंखलाओं का लम्बा शिलशिला, नदियां पोखर झरने आदि अत्यंत सुभावने लगते थे। इससे भी मन मोहक वहाँ के निवासियों का सरल सीधा जीवन एक प्रकार की विशेष संतुष्टि दायक लगता था। आदिवासियों के रीति-रिवाज, रहन-सहन, त्यौंहार उत्सव मढ़ई, साप्ताहिक हाट बाजारों में उनकी आर्थिक एवं जैविक आवश्यकताओं को देखने का अनुभव प्राप्त हुआ। आदिवासियों के घर अत्यंत साफसुथरे आडंम्बर रहित सजे हुए गोबर मिट्टी से लिये पुते रहते जिस पर सफेद छुई मिट्टी से घर की चोखट की सजावट लुभावनी लगती थी। स्थानीय घाँस के छायन वाला छप्पर, बांस एवं टहनियों की दिवारों पर मिटटी तथा गोबर से प्लास्टर करके समस्त दीवारे बनाई हुई, दरवाजे पर नाममात्र की कुंडी लगी रहती, ताला लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहती थी। घर के अंदर सोने बिछाने के लिए चारपाई चटाइयाँ एवं कपड़े टांगने के लिए बांस क़ी बल्ली एक तरफ कोने पर बंधी रहती है जिस पर घर के समस्त सदस्यों के एक दो जोड़ी कपड़े धोती टुपट्टा आदि टंगा रहता मिलता है। भोजन सामग्री के नाम पर चावल, एवं धान जो मिट्टी के घड़ों में रखा जाता। ओखली जरूर हर घर में रहती ताकि धान से चावल निकालने का कार्य प्रायः दूसरे-तीसरे दिन घर की महिलाएं करती रहती थी।

पुरूष वर्ग जंगल से शिकार एवं भोज्य सामग्री एकत्रित करने का काम करता था। एक शीशी में रस्सी बांधकर खाने का तेल रखा रहता था जो प्रायः चुल्हे के समीप ही टंगी रहती थी। नमक की छोटी टोकनी के साथ मिर्च मसाले की टोकनियाँ या डब्बे रखे रहते। तीर कमान, कुल्हाड़ी अवश्य घर की निकास के पास तैयार रखे जाते प्रायः सदा उनके लिए यही उपयुक्त स्थान होता है घर के भीतर या समीप ही मुर्गा-मुर्गी के दबड़े प्रत्येक घर में अवश्य रहते। गाय, बकरी, बैल खुले आंगन में बंदे रहते प्रायः दिन में चरने के लिये खुले घुमते रहते चरने के लिए इफरान जंगल उपलब्ध है। शादी विवाह के समय विशेष रूप से सजी हुई ढक्कन वाली टोकरी या लोहे की संदूक भी घर में बड़ी करीने से रखी रहती इनमें चांदी या गीलट के गहने रखे जाते रहे है, परन्तु गहने प्रायः बदन पर ही पहने जाते रहते हैं। स्नान करना प्रतिदिन अनिवार्य है। युवतियाँ या गृहणियाँ सजधज के रहती। सदा कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती नजर आती है। शाम को एकत्रित होकर परम्परागत नाच गान का आयोजन गाहे बगाहे होता रहता। पैसे टके रखने के लिए पोले बांस की पोंगली में सिक्के या नोट ठूँस कर रखे जाते। 20 से अधिक गिनती करना बहुत कम लोग जानते हैं। दैनिक उपयोग की चीजें साप्ताहिक बाजार से ही खरीदी जाती या वन उपज के बदले व विनिमन द्वारा प्राप्त की जाती। मुर्गा-मुर्गी के दबड़े उनके स्थायी बैंक डिपॉजिट का काम करते। हर सप्ताह एक नग मूर्गा मुर्गी माथे पर रखकर बाजार जाते उसे बेचकर

सौदा लाते थे। इस कारण मुख्य हाट बाजार के बाहर ही स्थानीय दलाल या कोचिया लोग मुख्य मार्गों पर अपनी दुकान सजाते थे, भोले भाले आदिवासियों की वन उपज एवं मुर्गा-मुर्गी उनसे जबरन लेकर चिल्हर पैसे हाथ में रखकर उनसे दूर चले जाते। बेचारा आदिवासी महिला या पुरूष कोई भी हो चिल्हर गिनने में इतना मगन हो जाता मानो उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। अधिक चिल्हर देख कर यह गुमान होता कि उसे बहुत पैसे मिल गये तो मन ही मन खुश होता। जब मुख्य बाजार जाकर अपने उपयोग की वस्तुएं खरीदा तो ज्ञात होता कि उसे ठग लिया है। मन मशोस कर रह जाता दुखी मन से जो भी बन सका खरीद कर घर लाता।

इस प्रकार की सरलता, सहजता, ईमानदारी एवं सीधेपन के कारण उनका भरपूर शोषण हुआ और आज भी हो रहा है, विकास नामक शब्द उनसे कोसों दूर है बोली भाषा की भिन्नता, पढ़ाये जाने वाले अक्षर उन्हें अजीब से लगते, कागजात को सम्भाल कर रखना उनकी आदन ही नहीं है। संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण प्राय: विपत्ति के समय में या रोजगार के अभाव के दिनो में भूखे या आधे पेट भोजन कर समय व्यतीत करना पड़ता है। मेहनत करने में परिश्रमी होने के बावजूद भी उन्हें कभी माकूल मजदूरी नहीं दी जाती, इस कारण दरिद्रता सदैव उनके पास ही बनी रहती। उनका आर्थिक, सामाजिक राजनैतिक एवं शैक्षिक स्तर कैसे सुधारा जाय ? यह कठिन कार्य शासन के उदासीन, अकर्मण्य, निरूत्साही अधिकारियों कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया जिन्होंने इन भोले भाले आदिवासियों का जमकर शोषण किया। विकास की बरसात का एक बूंद पानी भी उन्हें छूने नहीं दिया ऐसे समुदाय के लिए विशेष योजना बनाकर क्रियान्वित करना नितांत आवश्यक है।

अनुसूचित जाति उपयोजना तथा जनजाति उपयोजना की शुरूआत की कहानी

हमारा देश भारत-विविधताओं में एकता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग भिन्न-भिन्न भाषा, धर्म, पंथ, बोली, रहन-सहन, खान-पान, जाति, समाज आदि में रचे बसे हैं परन्तु इन विभिन्नताओं के बावजूद भी हम एक समृद्ध लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सुस्थापित है। हमारी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलू हमारी सांस्कृतिक समृद्धता को दर्शाते है परन्तु जाति प्रथा के कारण हमारा समाज समान रूप से प्रगति नहीं कर पाया है। ऊँच, नीच के भेदभाव के कारण विभिन्न वर्गो के बीच दूरियाँ बढ़ती गई और आज अगड़ों-पिछड़ों में समाज बट गया है।

जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था की उपज है। जिसके कारण अनुसूचित जाति व जनजातियाँ को विकास से वंचित रखा गया है। इस ऐतिहासिक पृष्टभूमि के कारण अनु.जाति. व जनजाति के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक रूप से अत्यंत पिछड़े हुए रह गये। आज भी इन वर्गो में दरिद्रता, गरीबी, कूपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी की स्थिति विकराल रूप से व्याप्त हैं। अनूसूचित जनजाति के लोग जंगलों में निवास करते हुए समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग पड़ गये। अनुसूचित जाति के लोग तिरस्कार, भेदभाव, अत्याचार आदि से ग्रस्त होकर दयनीय दशा में जीवन यापन कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के संविधानिक उपायों के कारण ही इन वर्गो को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अनुच्छेद-46 भारतीय संविधान के प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गो को विकास के लिए प्रोत्साहित करने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया।

देश की आजादी के बाद योजनाबद्ध विकास के कार्यो को हाथ में लेने का काम प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में तो योजनाकारों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों ने यह मान लिया कि क्षेत्रीय विकास की योजनाओं को लागू करने से समाज के पिछड़े तथा अजा/जजा के लोग स्वाभाविक रूप से लाभान्वित होगें। इस मनोवृत्ति के कारण आजादी के बाद के प्रारंभिक वर्षो में अजा/जजा के लोगों के विकास की और ध्यान नहीं दिया गया। इसके भयंकर परिभाषा सामाजिक विसंगतियों के रूप में सामने आये।

सन् 1978 में श्री पी.एस.कृष्णन आई.ए.एस. ग्रह मंत्रालय में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ें वर्गो का विकास विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हुए। उन्हीं दिनों डॉ.बी.डी. शर्मा एवं डॉ. भूपेन्द्र सिंह दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवाओ के अधिकारियों ने आदिवासियों के विकास के लिए विशेष योजनाएं अलग से बनाने के लिए काम प्रारंभ किया। सर्व प्रथम सन् 1978 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को विशेष घटक योजना Spcial component Plan तैयार करने के लिए लिखा । जिसमें वर्ष 1979-80 के लिए वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना 1978-83 के लिए अलग से बजट की मांग तैयार करने का सुझाव दिया गया।

तत्कालीन केन्द्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री धनिक लाल मंडल ने अनुसूचित जातियों के विकास संबंधी कार्याक्रमों के लिए विशेष घटक Spcial component Plan तैयार करने की वकालात करते

हुए मुम्बई, बेंगलोर, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों के प्रतिनिधियों से विस्तारपूर्वक विचार विमर्श प्रारंभ किया। सन् 1978 में माननीय श्री भोला पासवान शास्त्री बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने पांच सदस्यीय योजना आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला इस समय श्री पी.एस.कृष्णन योजना आयोग के सचिव का भार भी वहन कर रहे थे। माननीय श्री भोला पासवान शास्त्री ने यह निश्चित कर लिया कि- "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान जरूरी है।" योजना आयोग की बैठक में एस.सी.पी. को अनुमोदन प्राप्त हो गया। तत्पश्चात अनुसूचित जाति के समस्त सांसदों (समस्त दलों) की क्षेत्रवार बैठक माननीय तत्कालीन गृहमंत्री द्वारा ली गई। माननीय श्री योगेन्द्र मकवाना को गृहमंत्रालय में राज्यमंत्री का कार्यभार प्राप्त हुआ।

राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रिजनल कॉंसिल मिटिंग में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के समक्ष राज्यों को विशेष घटक योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देने संबंधी विषय को अजेण्डा में शामिल किया गया उसी बैठक में डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने आदिवासी उपयोजना (Tribal Sub Plan) को भी विचार हेतु अजेण्डा में सम्मिलित किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी देसाई ने राज्यों के विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय मुख्य मंत्रीगण के एस.सी.पी. और टी.एस.पी. की योजनओं को अपने राज्यों में प्रभावी तौर पर लागू करने पर बल दिया। उन्हीं दौरान माननीय मुख्यमंत्रियों की नेशनल कांन्फ्रेन्स का आयोजन हुआ जिसमें एस.सी.पी. विशेष घटक योजना एवं ट्रायबल सब प्लान पर विचार कर इन पर सहमति व्यक्त की गई।

भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के कमिश्नर माननीय श्री शिशिर कुमार द्वारा वर्ष 1978-79 में 26वीं वार्षिक रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपी जिसमें पंचवर्षीय योजनाअें 1979-83 में तथा वार्षिक योजना 1979-80 के लिए अधिकारिक रूप से विशेष घटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना को सम्मिलित किये जाने को अंतिम रूप दिया गया।

जनता दल के शासन काल में भी माननीय श्री धनिक लाल मंडल राज्यमंत्री होम अफेयर भारत सरकार ने पूर्ण मनायोग से, विशेष घटक योजना तथा आदिवासी उपयोजना को लागू करने का उल्लेखनीय प्रयास किया। जनवरी 1980 में छटी पंचवर्षीय योजना 1980-85 प्रारंभ हुई। दिनांक 19 सितम्बर 1980 को " अनुसूचित जातियों के विकास सन् 1980-85" के संबंध में श्री पी.एस.कृष्णन् की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई जिसमें भी कृष्णन् द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की दयनीय दशा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, इस बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को आधार मानकर योजनाएं बनाएं जाने पर जोर दिया गया ताकि योजनाओं का सीधा लाभ समग्र रूप से इन लोगों को प्राप्त हो सकें। इसमें प्रमुख रूप से दो बिन्दुओं को लक्षित किया गया।

एक तो व्यक्ति एवं परिवार को सीधा लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जावे। दूसरा अनुसूचित जाति बस्तियों को पेयजल, ड्रेनेज, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास सुविधाएँ, विद्युतीकरण, आदि बस्ती विकास कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जावे। इन वर्गो के आर्थिक विकास के लिए भूमि वितरण, भूमि

विकास, सिंचाई सुविधाओं आदि के कार्यक्रम सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं आदिवासी उपयोजना के नाम से केन्द्रीय सहायता प्रत्येक राज्यों को प्राप्त होती है।

मध्यप्रदेश में सातवी पंचवर्षीय योजना 1985-90 से अनुसूचित जाति के विकास के लिए ''अनुसूचित जाति उपयोजना'' प्रारंभ हुई है। इस योजना के अधीन प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपयों का अनुदान/सहायता राज्य शासन को प्राप्त होती रही है जिनका समावेश राज्य के वार्षिक बजट में किया जाता है। परिकल्पना यह की जाती है कि देश के समस्त नागरिकों का समान रूप से विकास होना चाहिए परन्तु ऐसा हो न सका। प्रतिवर्ष पर्याप्त धनराशि का आवंटन अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजनाओं के लिए प्राप्त होता है, परन्तु इनका सीधा लाभ ज्ञात करने का कोई तरीका प्रमाणित रूप से ईजाद नहीं किया गया है या यूं कहें कि लाभ आंकने का पैमाना जानबूझकर तैयार नहीं किया जा रहा है।

माननीय श्री भोला पासवान शास्त्री, माननीय श्री योगेन्द्र मकवानाजी, श्री पी.एस. कृष्णन, डॉ. भेपेन्द्रसिंह, डॉ.बी.डी. शर्मा तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्रीगण, का योगदान सदैव याद किया जावेगा। मन की गहराई से इन महानुभावों को प्रणाम करते है। अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लोग सदैव उनके इस पुनित कार्य के लिए आभारी रहेगें।

अनुसूचित जन जाति उपयोजना

ट्रायबल सब प्लान सन् 1985 में मध्यप्रदेश में तैयार हुआ। आजादी के 25 वर्ष व्यतीत होने के बाद शासन के ध्यान में आदिवासियों के विकास करने की बात सूझी। आजादी के वर्ष सन् 1947 से लेकर सन् 1985 तक इन आदिवासी पर्वतीय क्षेत्रों का दिल खोलकर बेरोक टोक शोषण होता रहा न तो इस शोषण के विरूद्ध किसी ने आवाज उठाई, नहीं शासन के मुनाईन्दो ने कोई फिक्र की। उन्हें तो आज भी कोई फिक्र नही है, ऐसा जान पड़ता है। पिछड़ेपन एवं विकासशील क्षेत्रों की दूरी आज भी बरकरार रखी जा रही है। जिन योजनाकारों ने ट्रायबल सब प्लान का विचार रखा उसे मूर्तरूप दिया एवं प्रतिवर्ष करोड़ों रूपयों की शासकीय सहायता प्रदान की गई परन्तु इस राशि का कोई प्रत्यक्ष लाभ अब भी परिलक्षित नहीं हुआ। इसके विपरित झाबुआ, धार, मंडला, डिण्डौरी के आदिवासी लोग आज भी भोपाल, इन्दौर जैसे बड़े नगरों में दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करते हुए बड़ी तादात में मिल जाते हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में कोई सम्पन्न हुआ दिखता है तो वह वहाँ का व्यापारी वर्ग। संपूर्ण सरकारी आपूर्तियों,के ठेके, सामग्री की सप्लाय इन्हीं के मध्यम से होती है। राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक यहां तक की सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी इन्हीं सम्पन्न लोगों द्वारा आयोजित हाते रहते है। राजनीतिक दलों की कठपुतली बने कतिपय नेता अपने आपको असहाय स्थिति में पाते हैं। कारण अनगिनत हैं परन्तु गंभीरता से सोचे तो पिछड़ेपन के तमाम कारण मानव निर्मित है। आदिवासियों का कोई दोष नहीं है। न तो मांग आधारित योजनाएं बनाई जाती है और न ही उनका सठी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है आदिवासियों को समारोह उनकी विचित्र वेशभूषा की प्रदर्शनी अवश्य लगाई जाती है इक्का-दुक्का आदिवासी कहीं विदेश भेजा जाता तो उसका बड़ा प्रचार-प्रसार सामुहिक रूप से ऐसा किया जाता जैसे सरकार ने बहुत बड़ा उपकार समाज पर कर दिखाया। घोर शोषण के बीच ट्रायबल सब प्लान की गतिविधियाँ आज भी जारी है जैसे आदिवासियों के भाग्य में ही कूपोषण. अशिक्षा, गरीबी स्थायी रूप से लिख दी गई हो।

सन् 1985-86 से लेकर आज सन् 2013-14 तक बेहिसाब धन राशि का व्यय किया गया राज्य शासन ने अत्यंत पिछड़ी जन जाति के विकास के लिए प्रथक से विकास योजनाएँ संचालित की है। प्रारंभ से लेकर आज तक ऐसे विशेष जाति की परियोजना पर हुये व्यय का हिसाब लगाया जाये तो कुल खर्च की गई राशि यदि उनकी कुल जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति खर्च की जाती तो यह पता लगाया जा सकता है, कि ऐसी विशेष जाति का प्रति व्यक्ति लखपति निश्चित रूप से बन सकता था। परन्तु इस प्रकार की गणना जान बूझकर नही की जाती है। ऐसी विशेष जाति के लोगों की स्थिति जस की तस बनी हुई है।

मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में कुपोषित बच्चे जो मृत्यु की कगार पर पाये गये संबंधी समाचार पर माननीय सुप्रिम कोर्ट ने विशेष कमिश्नर की जाँच रिपोर्ट तलब की जिसमें पाया गया कि श्योपुर के सहरिया आदिवासियों के बच्चों में बड़े पैमाने पर कुपोषण पाया गया। यही स्थिति खण्डवा, सीधी, सतना, शहडोल के आदिवासी परिवारों में भी पाई गई। यह सब घटनाऐं आए दिन प्रकाश में आती रहती है आदिवासियों की

किसी भी बस्ती में जाकर उनकी दुर्दशा का प्रत्यक्ष दर्शन कहीं भी किया जा सकता है तात्पर्य यह है कि ट्रायबल सब प्लान की राशि का वास्तविक लाभ ट्रायबल को समुचित रूप से निश्चित ही नहीं पहुँच रहा है, इस स्थिति को जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्रता से सुधारने की आवश्यकता है। ट्रायबल सब प्लान के तहत जो कार्यक्रम लिये जा रहे हैं उनका कोई सीधा संबंध या लाभ आदिवासी व्यक्ति या समूह को नहीं हैं। फिर भी इसकी अनदेखी करना न तो समाज के हित में और न ही प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के हित में है, हमारा मानना है कि प्रत्येक पाई-पाई का हिसाब इस प्रकार रखा जावे कि उसके खर्च की लेखा-जोखा संभव हो। आदिवासी समुदाय को यह दिखे कि शासन उनको बराबरी पर लाने का ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

अहम प्रश्न यह है कि क्या समस्त योजनाएँ आदिवासी लोगों को पूछकर बनाई जावे ? इसका उत्तर हाँ में दिया जा सकता है। आज टी.बी. मोबाईल का प्रचार हर एक मजरे टोले में हो गया है। यह कैसे संभव हुआ क्या कोई शासकीय मशनरी ने इन गेजट्स का प्रचार-प्रसार किया है ? "नहीं"। केवल उन्हें सरल एवं सहज रूप से यह सामग्री आसानी से हाट बाजारों में उपलब्ध हो सकी ऐसी व्यवस्था व्यवसायियों द्वारा की गई। इन्हीं मापदण्डों के आधार पर ट्रायबल सब प्लान की योजनाओं को भी प्रसारित किया जा सकता है। लोगों का विश्वास होगा तो लाभ लेने से कोई चूकेगा नहीं।

वार्षिक बजटों की भारी भरकम पुस्तकों में लिखी गई योजनाएँ आज तक ट्रायबल का समुचित भला नहीं कर पाई हैं और भविष्य में भी नहीं कर पायेगी। योजनाओं का सही ढंग से बनना, सही ढंग से लागू करना आदि एक जानबूझ कर जटिल रूप से बनाई गई प्रक्रिया है। जिसे आज आदिवासी नहीं समझता और लागू करने वाली सरकारी एजेन्सी उस योजना को अपनी बपौती समझकर उसका लाभ किसी को लेने भी नहीं देता। यहाँ तक ऐसी स्थिति बनती है जैसे अनाज के खेत पर लगा बिजूका न खुद खाता न दूसरों को खाने देता है। कोई भी योजना उठाकर देखों उनका लाभ लेने वाले व्यक्ति को शासन के नियमों की कड़ी परीक्षा से जूझना पड़ेगा। अनिश्चितता, भ्रष्टाचार, अविश्वास असमय पर राशि का भुगतान एवं वसूली तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण कोई भी योजना शतप्रतिशत रूप से सफल नहीं हो सकी। जैसे जेटरोपा (रतनजोत रोपण) की योजना कई वर्षो तक चली अब कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। करोड़ों रूपयों की आहुति चढ़ा दी गई परिणाम शून्य रहा।

कुछ उत्साही जिला प्रशासन में बैठे लोगों ने धरातलीय वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आदिवासी गांवों में रात्रि विश्राम कर लोगों के विकास की बातों को ध्यानपूर्वक सूना समझने की कोशिश की। अन्त:ततोगत्वा यह मिला कि आदिवासी लोगों की अपेक्षाएं अत्यती छोटी-छोटी लगी जो प्रशासन करना नहीं चाहता। कोई खेत में बिजली का कनेक्शन मांगता, तो कोई कुआँ, कोई बकरी मांगता तो कोई भैंस कोई घर के लिए जमीन तो कोई घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता यह सब सहायता एक बार दे दी गई फिर भी उनकी गरीबी पर कोई खास असर नहीं हुआ। बड़ी देर बाद समझ में आया कि लोगों को सस्टेनेबल जीविका का

स्थायी साधन चाहिए और यह स्थायी साधन सरकारी नौकरी देकर उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। यह संभव है स्थानीय तौर पर कुटीर एवं घरेलू उद्योगों की स्थापना करने से जिसके लिए शासन के पास स्वयं कोई विशेषज्ञ नहीं है। इस गेप या कमी को पूरा करने के लिए समग्र रूप से नवीन कार्य प्रणाली विकसित करने की आवश्कता है।

वर्ष 2013-14 के वार्षिक बजट की मदों पर ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि सामुदायिक विकास संबंधी निर्माण कार्यो पर बड़े पैमाने पर व्यय किया जा रहा है। बांधों, सड़कों, पुलों, महाविद्यालयों, स्कूल भवनो, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर बड़ी राशि व्यय की जा रही है। आधारभूत संरचना, ढांचागत, विकास की रीढ़ है। इन पर आवश्यकरूप से व्यय होना चाहिए परन्तु क्या यह सब व्यय आदिवासियों के हिस्से की राशि से ही संभव है ? जन सामान्य के लिए भी तो बजट प्रावधान है। क्यों उन मदों से यह ढांचागत संरचनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता ?

यह प्रश्न हर एक आदिवासी बुद्धीजीवी को उद्वेलित करता है। अभी तक ढ़ाचागत संरचनाएं जैसे बांध, तालाब सड़कें; उद्योगों के लिए भूमि का विकास जहां कहीं भी हुआ वहाँ के मूल निवासी अपनी जड़ों से उखड़कर पता नहीं कहां चले गये क्या उनके विकास की अब कोई चिन्ता कोई करता है ? शायद ही कोई आदिवासी इन ढांचागत विकास से करोड़पति बनता दिखा हो। इसके विपरीत बड़े-बड़े उद्योग घराने एवं नवधनाड्यों की संख्या में इजाफा अवश्य हुआ है। अमीर गरीब की खाई और अधिक चौड़ी और गहरी हो गई है।

पहले यह समझा जाता था कि जिन लोगों को पैसे गिनना नहीं आता हिसाब करना नहीं आता उनके लिए कोई भी बजट बना दो क्या फर्क बड़ता है परन्तु यह विचार धारा आत्म घाती है। सरकारों को यह भली भॉति समझ लेना चाहिए कि लम्बे समय तक छलने की नीति काम आने वाली नहीं है। यदि वास्तव में सामाजिक समानता लाना है एवं सुख समृद्ध मध्यप्रदेश बनाना है तो सबसे पहले सबसे पिछड़ों पर ध्यान देना जरूरी है।

बजट वर्ष 2013-14 आदिवासी उपयोजना

मांग संख्या - 41 लेखा शीर्ष - 2055

क्षमता निर्माण एवं दक्षता विकास

मद क्रमांक-1

गृह विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों की गुणवत्ता मूलक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर आत्म निर्भर बनाने के उद्देष्य से पुलिस औद्योगिक संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रूपये 5.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

पुलिस स्वास्थ्य अधोसंरचना मद क्रमांक-2

पुलिस अस्पतालों के गुणात्मक उन्नयन, पैथोलॉजी एवं चिकित्सा जाँच उपकरण मल्टी स्लाइड डिटेक्टर, कम्प्यूटराईज्ड टोमोग्राफी मशीन, डिजिटल एक्स-रे मशीन, फुली ऑटोमेटिक लेब, सोनोग्राफी मशीन, ईसीजी मशीन, कलर डॉप्लर मशीन, बी.पी. उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक ग्लूको मीटर आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रूपये 20.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

लेखा शीर्ष - 4055 पुलिस पारगमन (ट्रांजिट) भवन निर्माण

मद क्रमांक-3

प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न सभी जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु प्रमुख शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर में इन्टरनल सिक्यूरिटी सिस्टम हेतु होटल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रूपये 25.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

पुलिस लाईनों का उन्नयन मद क्रमांक-4

पुलिस लाईनों का उन्नयन योजना अन्तर्गत जिला इकाईयों के आवास गृह का रखरखाव, शस्त्रों का रखरखाव, मोटर वाहनों को मरम्मत के साथ कानून व्यवस्था हेतु अतिरिक्त इकाईयों से आने वाले बल की व्यवस्था आदि हेतु पुलिस लाईनों को उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रूपये 25.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

लेखा शीर्ष - 2204 ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

मद क्रमांक-5

संभागीय स्तर पर खेलकूद के आयोजन एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व पर होने वाले व्यय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 3.75 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

महिला खेलकूद प्रतियोगिता मद क्रमांक-6

संभागीय स्तर पर महिला खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन एवं महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व पर होने वाले व्यय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 2.50 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

ओलंपिक 2020 मद क्रमांक-7

ओलंपिक 2020 योजना अन्तर्गत प्रदेष के प्रतिभावान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अत्याधुनिक उच्च तकनीक व विदेशी प्रशिक्षकों के माध्यम से खेल प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 15.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

हॉकी फीडर सेन्टर मद क्रमांक-8

राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रतिभावान खिलाड़ियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हॉकी सेंटर की स्थापना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 5.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

हॉकी सेन्थिटिक टर्फ मद क्रमांक-9

राष्ट्रीय खेल हॉकी पर विषेष ध्यान दिये जाने हेतु चरणबद्ध तरीके से चिन्हित जिलों एवं संभागीय मुख्यालयों पर सिंथेटिक टर्फका निर्माण कराया जाता है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 25.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

लेखा शीर्ष - 2401 शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण
मद क्रमांक-21

उद्यानिकी फसलों के विकास एवं गुणवत्ता युक्त पौधों के उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु शासकीय रोपणियों में प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 12.50 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

बजट वर्ष 2013-14 अनुसूचित जाति उपयोजना

मांग संख्या - 53

लेखा शीर्ष - 2217

शहरी सुधार कार्यक्रम

मद क्रमांक-2

नगरीय निकायों के कार्यों एवं दायित्वों को पूरा किए जाने हेतु जारी सुधार कार्यक्रमों का राज्य तथा निकाय स्तर पर क्रियान्वयन किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 30.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

म.प्र. अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (डी.एफआई.डी.)

मद क्रमांक-3

म.प्र. अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (डी.एफआई.डी.) अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 275.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

शहरी विरासत संरक्षण एवं संवर्धन योजना

मद क्रमांक-4

शहरी विरासत संरक्षण एवं संवर्धन योजना अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्थित हेरीटेज स्मारकों/स्थलों/भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन नगरीय निकायों के माध्यम से किया जावेगा। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 12.50 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

लेखा शीर्ष - 6217

जल प्रदाय योजना (ए.डी.बी.)

मद क्रमांक-5

विष्व बैंक सहायतित जल प्रदाय योजना (ए.डी.बी.) के क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 50.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

मांग संख्या - 64

लेखा शीर्ष - 2055

क्षमता निर्माण एवं दक्षता विकास

मद क्रमांक-1

गृह विभाग के अन्तर्गत कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के पुत्र-पुत्रियों की गुणवत्ता मूलक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से पुलिस औद्योगिक संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक प्रषिक्षण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रूपये 5.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

पुलिस स्वास्थ्य अधोसंरचना

मद क्रमांक-2

पुलिस अस्पतालों के गुणात्मक उन्नयन, पैथोलॉजी एवं चिकित्सा जाँच उपकरण मल्टी स्लाइड डिटेक्टर, कम्प्यूटराईज्ड टोमोग्राफी मशीन, डिजिटल एक्स-रे मशीन फुली ऑटोमेटिक लेब, सोनोग्राफी मशीन ईसीजी मशीन, कलर डॉप्लर मशीन, बी.पी. उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक ग्लूको मीटर आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रूपये 17.50 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

लेखा शीर्ष - 4055

पुलिस पारगमन (ट्रांजिट) भवन निर्माण

मद क्रमांक-3

प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न सभी जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु प्रमुख शहर भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर में इन्टरनल सिक्यूरिटी सिस्टम हेतु होटल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रूपये 21.25 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

पुलिस लाईनों का उन्नयन

मद क्रमांक-4

पुलिस लाईनों का उन्नयन योजना अन्तर्गत जिला इकाईयों के आवास गृह का रखरखाव, शस्त्रों का रखरखाव, मोटर वाहनों को मरम्मत के साथ कानून व्यवस्था हेतु अतिरिक्त इकाईयों से आने वाले बल की व्यवस्था आदि हेतु पुलिस लाईनों को उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में रूपये 21.25 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

लेखा शीर्ष - 2204

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

मद क्रमांक-5

संभागीय स्तर पर खेलकूद के आयोजन एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व पर होने वाले व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 6.25 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

महिला खेलकूद प्रतियोगिता

मद क्रमांक-6

संभागीय स्तर पर महिला खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन एवं महिला खिलाड़ियों के राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व पर होने वाले व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 2.50 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

ओलंपिक 2020

मद क्रमांक-7

ओलंपिक 2020 योजना अन्तर्गत प्रदेश के प्रतिभावान अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अत्याधुनिक उच्च तकनीक व विदेशी प्रशिक्षकों के माध्यम से खेल प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 11.25 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

हॉकी फीडर सेन्टर

मद क्रमांक-8

राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रतिभावान खिलाड़ियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हॉकी सेंटर की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 5.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

हॉकी सेन्थिटिक टर्फ

मद क्रमांक-9

राष्ट्रीय खेल हॉकी पर विषेष ध्यान दिये जाने हेतु चरणबद्ध तरीके से चिन्हित जिलों एवं संभागीय मुख्यालयों पर सिंथेटिक टर्फका निर्माण कराया जाता है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 15.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

पुलों का निर्माण (नाबार्ड)

मद क्रमांक–13 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित पुल का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (रू. लाख में)
1.	भोपाल	भोपाल कोलार मार्ग के किमी 11/4-6 पर केरवा नदी पर उच्चस्तरीय जलमग्नीय पुल	313.63

रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण

मद क्रमांक–14 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत (रू. लाख में)
1.	इन्दौर	रेल्वे गेट क्रमांक–242 किमी 488/78 रतलाम खण्डवा सेक्शन (बाणगंगा) पर समानान्तर टूलेन रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण	2300

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)

मद क्रमांक–16 अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्नांकित सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (रू. लाख में)
1.	सीहोर	अतरालिया नहर से हाल्याखेड़ी मार्ग	4	184.70
2.	सीहोर	छीपानेर से खिड़किया मार्ग	3.5	180.98
3.	सीहोर	बड़नगर से गिलहरी मार्ग	3	186.39
4.	सीहोर	मझली से बोरखेड़ी मार्ग	3.5	160.94
5.	सीहोर	सिराली से पिपलानी मार्ग	5	277.63
6.	सीहोर	मेन रोड से धामंदा मार्ग	3	155.84
7.	सीहोर	चीच से अतरालिया मार्ग	4	256.71
8.	सीहोर	अतरालिया नहर से मण्डी मार्ग	4	188.24

9.	सीहोर	मेन रोड से रिझारिया कदीम मार्ग	4	186.56
10.	सीहोर	घुड़ताल से घोघरा प्रधानमंत्री सड़क मार्ग	2	103.14
11.	सीहोर	सोयत से सोयत प्लाट नहर तक	2	100.00
12.	सीहोर	श्रीनगर से भुरी डेरा मार्ग	2	100.11
13.	सीहोर	पांगरी पहाड़सिंह टप्पर से प्रधानमंत्री मार्ग	2.5	116.86
14.	सीहोर	छीपानेर से ककेड़ी नदी मार्ग	4.5	198.16
15.	सीहोर	छीपानेर से बगवाड़ा मार्ग	2.4	117.60
16.	सीहोर	धोधरा भूराट से मूंगली मार्ग	2.5	139.19
17.	सीहोर	वासुदेव से सुकरवास मार्ग	5	242.95
18.	सीहोर	हमीदगंज से गाडरीपुरा बसंतपुरा मार्ग	2.3	128.25
19.	सीहोर	बसंतपुर पांगरी से टांडी आख्या मोहल्ला मार्ग	2.7	188.24
20.	सीहोर	ईटावाखुर्द से जूनापानी मार्ग	3.5	171.23
21.	सीहोर	लसूड़िया परिहार बिजलोन मार्ग	5.1	242.83
22.	सीहोर	सिद्दीकगंज से ईलाई देहमत से नीलबड़ जोड़	6.3	344.12
1.	बैतूल	बड़ागाँव से कोटमी मार्ग	2.3	144.51
2.	बैतूल	बैतूल खण्डारा आमला मार्ग	8.6	400.00
1.	दतिया	जिगना से बड़ोनी मार्ग	5.7	278.00
2.	दतिया	जिगना से तिवारीपुरा मार्ग	3.76	240.00
1.	गुना	भदौर से खजूरी व्हाया देवरी मार्ग	6	266.00
1.	इन्दौर	बगोदा मेमदी से सिमरोल मार्ग	5	188.82
2.	इन्दौर	उमरिया से जामनिया मार्ग	2.5	171.69
3.	इन्दौर	खजराना दरगाह से बायपास मार्ग	2.5	258.00
1.	मंदसौर	दलोदर रेल्वे फा. से दुंधड़का वाया शु.मि.मार्ग	3	150.00
2.	मंदसौर	बसई से डिगाँव मार्ग का निर्माण (अरनिया से सुवासरा मार्ग का भाग)	31.2	722.39
3.	मंदसौर	केथोली से भीमपुरा राजस्थान सीमा तम मार्ग	5	285.67
4.	मंदसौर	मंजेश्वरी से निंबोर मार्ग	2.2	176.61
5.	मंदसौर	पलासिया निंबोर मार्ग	3.1	163.23
6.	मंदसौर	गारियाखेड़ा से गुजरबर्डिया मार्ग	12	540.00
7.	मंदसौर	हिंगोरिया बड़ा से टिडवास मार्ग	6.5	292.00
8.	मंदसौर	अम्बाव से कनघट्टी मार्ग	8	360.00
1.	राजगढ़	तलेन से धुआँखेड़ी मार्ग	4	214.71
2.	राजगढ़	देवली सांगा सबेह सीनखेड़ाकलां मार्ग	5.2	302.00
3.	राजगढ़	हराना से पाटल्या मार्ग	7	371.29

4.	राजगढ़	भैंसाना से मण्डावर मार्ग	9.8	509.22
5.	राजगढ़	जामी से मलावर मार्ग	4.5	347.23
6.	राजगढ़	सोनकच्छ से पलारी बंजारी नई दिल्ली मार्ग	11.2	540.95
1.	सागर	देवरी से सरईवन मार्ग	18	1053.92
1.	श्योपुर	कराहल सरारी बरगवां मराठा मार्ग	31.5	2076.92
1.	शाजापुर	शुजालपुर सिटी पोर्शन से लसूड़िया हेड़ा मार्ग		230.00
1.	सीधी	टोड़ीदोला भीतरी मार्ग	2.5	162.06
2.	सीधी	डहिया छिरिया घाट मार्ग (श. सुधाकर सिंह)	4.4	281.97
1.	विदिशा	फुफेर से निचरोन, खुसोर व्हाया रायखेड़ी महू नारायणपुर चक्कमानपुर महू से बंजाराचक्क महू से भूराचक्क बसोदा सिरोंज से लाखाखेड़ी सिरोंज से सकराई, ऐचदा से लाखार, वर्धा से मनिया बरखेड़ा, सोमवारा से बमूरिया का निर्माण	31.95	1705.86
1.	टीकमगढ़	दिगोड़ा नारिया मार्ग	4.5	225.00
2.	टीकमगढ़	बंधा तिगेला दरदरी से बहादुरपुरा मार्ग	4	192.00
3.	टीकमगढ़	मऊ बहौड़ा से बेदोरा व्हाया रवर्रो बैदउ मार्ग	5.5	264.00
1.	पन्ना	हरदुआ मैमारी से रंगीली मार्ग	8	560.00

सीहोर जिले में 22 सड़कें अनुसूचित जाति उपयोजना से बनाई जा रही है, बाकि जिलों में जैसे बैतूल में 2, दतिया में 2, गुना में 1, इन्दौर में 3, मंदसौर में 8, राजगढ़ में 6, सागर में 1, श्योपुर में 1, शाजापुर में 1, सीधी में 2, विदिशा में 1, टीकमगढ़ में 3, पन्ना में 1 ही सड़के बनाई जा रही है, जिन पर 2300.00 लाख का व्यय संभावित है।

योजनावार प्रावधानों का विवरण

(अनुसूचित जाति उपयोजना)

(आंकड़े हजार रूपयों में)

लेखा 2011-2012 अनुसूचित जाति उपयोजना	लेखा 2011-2012 विशेष केन्द्रीय सहायता	बजट अनुमान 2012-2013 अनुसूचित जाति उपयोजना	बजट अनुमान 2012-2013 विशेष केन्द्रीय सहायता	पुनरीक्षित अनुमान 2012-2013 अनुसूचित जाति उपयोजना	पुनरीक्षित अनुमान 2012-2013 विशेष केन्द्रीय सहायता		बजट अनुमान 2013-2014 अनुसूचित जाति उपयोजना	बजट अनुमान 2013-2014 विशेष केन्द्रीय सहायता	बजट अनुमान 2013-2014 योग
12,99,45	0	14,19,50	0	14,19,50	0	(0927) - राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना	18,91,08	0	18,91,08
9,47,99	0	11,61,08	0	13,13,87	0	(1109) - गहन पशु विकास परियोजना	15,60,00	0	15,60,00
2,31,00	0	3,49,18	0	3,49,18	0	(3777) - रेशम उद्योग का विकास कार्य	4,67,23	0	4,67,23
59,70,44	0	57,32,09	0	66,68,56	0	(5626) - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	94,68,00	0	94,68,00
25,20,19	0	27,00,00	0	27,73,53	0	(6974) - सागर चिकित्सा महाविद्यालय	18,50,00	0	18,50,00
13,89,99	0	14,50,00	0	17,70,57	0	(8798) - चिकित्सालयों का उन्नयन	18,40,00	0	18,40,00
0	0	0	0	0	0	(9216) - प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	62,30,00	0	62,30,00
29,29,73	0	26,03,92	0	26,03,92	0	(2872) - बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	33,43,39	0	33,43,39
68,70,35	0	1,43,79,98	0	1,43,79,99	0	(2884) - नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	3,20,81,12	0	3,20,81,12
3,03,00	0	40,00,00	0	44,00,00	0	(2897) - बांध तथा संलग्न कार्य	19,00,00	0	19,00,00
0	0	4,00,00	0	4,00,00	0	(3059) - भवन एवं आवास गृहों का निर्माण	4,00,00	0	4,00,00
17,86,00	0	44,00,00	0	44,00,00	0	(3368) - मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	45,00,00	0	45,00,00
1,89,58	0	10,00,00	0	5,00,00	0	(4149) - वृहद पुलों का निर्माण	7,00,00	0	7,00,00
49,70,26	0	98,00,00	0	49,00,00	0	(5003) - म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम	1,00,00,00	0	1,00,00,00
0	0	7,02,00	0	0	0	(6323) - 2 गुना 660 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	16,80,00	0	16,80,00
0	0	0	0	0	0	(6326) - दादा धूनी वाले ताप विद्युत परियोजना	2,60,00	0	2,60,00

लेखा 2011-2012		बजट अनुमान 2012-2013		पुनरीक्षित अनुमान 2012-2013			बजट अनुमान 2013-2014		
अनुसूचित जाति उपयोजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जाति उपयोजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	अनुसूचित जाति उपयोजना	विशेष केन्द्रीय सहायता		अनुसूचित जाति उपयोजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	योग
2,70,00	0	6,75,00	0	6,75,00	0	(6463) - पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वां वित्त आयोग)	7,00,00	0	7,00,00
6,99,46	0	5,00,00	0	3,75,00	0	(6651) - रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	15,00,00	0	15,00,00
10,00,00	0	24,24,15	0	24,24,15	0	(6655) - मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	22,00,00	0	22,00,00
0	0	10,00,00	0	10,00,00	0	(6831) - पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार - जल संसाधन विभाग	30,00,00	0	30,00,00
7,84,58	0	3,00,00	0	3,00,00	0	(6974) - सागर चिकित्सा महाविद्यालय	1,00,00	0	1,00,00
0	0	0	0	6,26,00	0	(7233) - इयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम	5,00,00	0	5,00,00
0	0	18,80,00	0	18,80,00	0	(7272) - गोदामों का निर्माण	8,00,00	0	8,00,00
88,00,00	0	1,38,82,00	0	1,21,46,00	0	(7900) - उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1,97,75,00	0	1,97,75,00
3,57,83	0	13,47,57	0	14,18,57	0	(9091) - ओंकारेश्वर परियोजना	9,10,00	0	9,10,00
0	0	5,00	0	5,00	0	(9133) - सरदार सरोवर परियोजना	2,00	0	2,00
0	0	15,52,00	0	39,04,00	0	(9250) - सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु धनवेष्ठन	5,27,00	0	5,27,00
42,10,00	0	66,62,00	0	1,13,64,00	0	(9252) - 2 गुना 600 मेगावॉट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	23,53,00	0	23,53,00
4,55,29,85	0	8,03,25,47	0	8,19,96,84	0	योग - योजना	11,05,37,82	0	11,05,37,82

वर्ष 2013-14 के बजट की महत्वपूर्ण बातें:-

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए फरवरी, 2013 में प्रस्तुत किये गये मध्यप्रदेष के वार्षिक बजट के मुख्य आँकड़े निम्नानुसार है:-

1.	राज्य का कुल व्यय	रूपये	91946.86	करोड़
2.	राजस्व आधिक्य	रूपये	5214.83	करोड़
3.	वित्तीय घाटा वर्ष 2013-14 में अनुमानतः	रूपये	12218.53	करोड़
4.	राज्य की कुल राजस्व आय	रूपये	79603.47	करोड़
	जिसमें राज्य के करों से आय	रूपये	33381.68	करोड़
	केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	रूपये	23693.61	करोड़
	राज्य का कर युक्त राजस्व से आय	रूपये	7583.39	करोड़
	केन्द्रीय सहायता अनुदान	रूपये	14944.74	करोड़

5. राज्य का राजस्व व्यय रूपये 74388.64 करोड़, जो कि रूपये 10845.14 करोड़ गत् वर्ष 2012-13 से अधिक है।
6. वर्ष 2013-14 के लिए प्रारम्भिक शेष (*Opening Balance*) रूपये (-) 195ण्33 करोड़ रहने का अनुमान है तथा अंतिम शेष (*Closing Balance*) रूपये (-) 123ण्09 करोड़ रूपये का अनुमान है।
7. योजना व्यय रूपये 37608.17 करोड़
8. आदिवासी उपयोजना के लिए बजट अनुमान रूपये 4886.99 करोड़

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए वर्ष 2013-14 बजट में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयः-

1. वित्तीय वर्ष 2013-14 में रूपये 1447.00 करोड़ गत् वर्ष 2012-13 की तुलना में अधिक व्यय करने का अनुमान रखा गया है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचारों से पीड़ितों को लगभग दुगुनी सहायता देने का प्रावधान रखा गया है।
3. अत्याचारों से पीड़ित व्यक्ति के लिए सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपये की गई है।
4. इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप दिये जाने के लिए रूपये 14 करोड़ का प्रावधान है।
5. 40 हाई स्कूलों को हायर सेकेण्डरी में, 20 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में एवं आदिवासी क्षेत्रों में 20 प्रायमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूलों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।
6. 20 नवीन कन्या आश्रम खोलने का निर्णय लिया गया।

7. 20 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्तियों का निर्णय लिया गया।
8. 20 नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 10 प्री मैट्रिक छात्रावास तथा 10 आश्रम स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
9. आदिवासी छात्रों के लिए 2 नवीन खेल परिसर प्रारम्भ किये जावेंगे।
10. प्रतिदिन खुराक अलाउन्स 25 रूपये से बढ़ाकर 100 रूप्ये प्रतिदिन किया गया।
11. खेल परिसर के खिलाड़ियों/विद्यार्थियों को स्पोट्र्स किट अलाउन्स रूपये 850 से बढ़ाकर 3000 रूपये किया गया।
12. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 119 नवीन छात्रावास और छात्रावासों में 3000 नवीन सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
13. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियों के विकास के लिए विशेष रूप से रूपये 24 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

स्त्रोत – प्रेस नोट दिनांक 22 फरवरी, 2013 वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को टी.एस.पी./एस.सी.एस.पी. द्वारा बजट

मांग संख्या - 19

बजट - 2013-14 टीएसपी/एससीएसपी

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

1 शिक्षा एवं प्रशिक्षण
2 छात्रावासों के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण
3 नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना
4 पैरामेडीकल महाविद्यालयों की स्थापना
5 बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण एवं स्वावलम्बन योजना

शिक्षा एवं प्रशिक्षण		
बजट आवंटन	2012-2013	2013-2014
कुल बजट	3,50,00.000	2.60,00.000
टीएसपी	1,40,00,000	80,00,000
एससीएसपी	1,00,00,000	60,00,000
छात्रावासों के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण		
कुल बजट	3,50,00,000	00
टीएसपी	1,50,00,000	00
एससीएसपी	1,50,00,000	00
नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना		
कुल बजट	2,50,00.000	1,00,000
टीएसपी	1,50,00,000	57,000
एससीएसपी	1,00,00.000	43,000
पैरामेडीकल महाविद्यालयों की स्थापना		
कुल बजट	12,00,00,000	3,00,00,000
टीएसपी	6,00,00,000	1,70,00,000
एससीएसपी	6,00,00.000	1.30,00.000
बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण एवं स्वावलम्बन योजना		
कुल बजट	2,00,00.000	00
टीएसपी	1,00,00.000	00
एससीपी	1,00,00,000	00

मध्यप्रदेश राज्य के बजट आवंटन पर दृष्टि डालें. तो यह ज्ञात होता है कि केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सरकार को आवंटित बजट में से अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत् राष्ट्रीय विकास मसौदा समिति के दिशा-निर्देशानुसार व्यय नहीं किया जा रहा है। कहीं धूप तो कहीं छाँव की तरह आदिवासी बासियों एवं अनुसूचित जातियों के छात्र/छात्राओं के विकास के नाम पर आवंटित बजट को व्यय किया जा रहा है।

आइये हम समझते हैं- मध्यप्रदेश सरकार की 5 योजनाओं को, जिसमें बजट की बन्दरबांट स्पष्ट नज़र आती है।

1- शिक्षा एवं प्रशिक्षण-

इस योजना के तहत् 2011-2012 में वास्तविक व्यय 6 करोड़ 6 लाख 13 हजार रूपये आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के नाम से मध्यप्रदेष लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ने खर्च किये। 2012-2013 में 1 करोड़ 40 लाख रूपये बजट अनुमान किया, जो खर्च हो रहे हैं। 2013-2014 में 80 लाख रूपये व्यय किये जा रहे हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के नाम पर तीन वर्ष की राशि का कुल योग 8 करोड़ 26 लाख 13 हजार रूपये व्यय किये जा रहे हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् 2011-2012 में काई भी राषि आवंटित नहीं की गई थी एवं सन् 2012-2013 में 1 करोड़ रूपये धनराशि का बजट अनुमान किया गया। सन् 2013-2014 में 60 लाख रूपये का बजट अनुमान रखा है, जो व्यय होना तय है। इस प्रकार से तीन वर्षों में कुल 1 करोड़ 60 लाख रूपये अनुसूचित जाति उपयोजना के नाम पर व्यय किये जा रहे हैं।

2-छात्रावासों के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण- इस योजना के तहत् सन् 2011-2012 में वास्तविक बजट में धनराशि का आवंटन नहीं होने से व्यय नहीं की गई।

सन् 2012-2013 में अनुसूचित जाति/जनजाति के नाम पर 1 करोड़ 50 लाख रूपये का बजट अनुमान रखा गया, किन्तु सन् 2013-14 में छात्रावासों के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कोई भी धनराशि नहीं आवंटन की गई, इससे आदिवासी एवं दलित छात्रों के स्वास्थ्य के प्रति मध्यप्रदेश शासन की उदासीन मंशा नज़र आती है। आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के स्वास्थ्य पर तीन वर्ष में 3 करोड़ रूपये ही व्यय किये गये है। यह तथ्य समझ में आता है, किन्तु क्या शासन सही मायनों में आदिवासी/दलित छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाता है ? इस प्रश्न का उत्तर लाभान्वित छात्रों की सूची से ही ज्ञात हो सकता है।

3- नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना- इस योजना के तहत् 2011-2012 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए कोई बजट राशि आवंटित नहीं की गई थी, किन्तु सन् 2012-2013 में आदिवासी उपयोजना के तहत् 15 करोड़ रूपये की राशि का बजट आवंटन करके नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपयों का व्यय कर डाला है। इस प्रकार से अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् अनुसूचित जाति के 10 करोड़ रूपयों के बजट राशि से नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना पर व्यय कर दिये हैं।

IC-100
15334
Community Health Library and Information Centre (CLIC)
CPHE - SOCHARA
Koramangala
Bangalore

इस राशि से कहाँ-कहाँ नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं तथा क्या अजा/जजा को इससे लाभ होगा ? यह दिखाया जाना आवश्यक है।

सन् 2013-2014 में आदिवासी उपयोजना में 5 करोड़ 70 लाख रूपये का बजट अनुमान किया एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में 4 करोड़ 30 लाख रूपये का बजट अनुमान किया गया है। परन्तु नर्सिंग महाविद्यालयों के स्थानों के नाम पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अपेक्षा है स्थानों के नाम शासन को बताना चाहिए।

4- पैरामेडीकल महाविद्यालयों की स्थापना- इस योजना के तहत् 2011-2012 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् किसी भी प्रकार को आवंटन नहीं हुआ, किन्तु सन् 2012-2013 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 6 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति के भी 6 करोड़ रूपये का बजट अनुमान रखा गया। सन् 2013-14 में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए बजट राशि 1 करोड़ 70 लाख रूपये बजट अनुमान रखा था। अनुसूचित जाति के लिए 1 करोड़ 30 लाख रूपये बजट अनुमान रखा गया। इस प्रकार से तीन वर्ष में आदिवासी उपयोजना की कुल राशि 1 करोड़ 70 लाख रूपये व्यय किये जावेंगे।

इसी प्रकार से अनुसूचित जाति उपयोजना में तीन वर्ष में कुल राशि 7 करोड़ 30 लाख रूपये व्यय किये जायेंगे, जो कि पैरामेडीकल महाविद्यालय निर्माण में व्यय होंगे।

राज्य शासन से अपेक्षा है कि स्थापित किये जा रहे महाविद्यालयों के नाम भी बजट पत्रों में समावेश करे, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

5- बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण एवं स्वावलम्बन योजना: इस योजना के तहत् 2011-2012 में इस योजना के तहत् आदिवासी उपयोजना अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् किसी भी प्रकार का कोई आवंटन नहीं किया गया। सन् 2012-2013 में आदिवासी उपयोजना के तहत् 1 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् 1 करोड़ रूपये व्यय की गई।

सन् 2013-2014 में बी.एस.सी. नर्सिंग प्रशिक्षण एवं स्वावलम्बन योजना के लिए आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित उपयोजना के लिए किसी भी प्रकार का बजट आवंटन 2013-2014 में नहीं किया था। तीन वर्ष में इस योजना में 1 करोड़ रूपये का एवं 1 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया था। इस योजना से लाभान्वित अजा/जजा की संख्या का ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे रिपोर्ट 2011-12 माह फरवरी-मार्च 2014 में प्रकाशित हुई जिसमें मध्यप्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में जनसामान्य का विश्वास नहीं होने की बात सामने आयी है। केवल 18.7 प्रतिशत एक्यूट बिमारी(दीर्घ कालीन बिमारी) से पीड़ित लोग शासकीय चिकित्सालयों में उपचार कराते है। यद्यपि एक्यूट बीमारियों से पीड़ित मरीजों की कुल संख्या में से लगभग 92.5 प्रतिशत लोग इलाज कराते है और इनमें से लगभग 80 प्रतिशत मरीज प्रायवेट चिकित्सालयों से उपचार कराते हैं। यदि हम गंभीर या क्रानिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज कराने पर ध्यान देवे तो पाते हैं कि केवल 26.3 प्रतिशत बीमार व्यक्ति शासकीय अस्पतालों में उपचार हेतु जाते हैं तथा 73.7 प्रतिशत लोग प्रायवेट चिकित्सालयों में उपचार पाते हैं। प्रायवेट चिकित्सकों का इलाज शासकीय अस्पतालों की तुलना में अधिक मंहगा होने के बावजूद लोग प्रायवेट डॉक्टरों से इलाज कराना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें शासकीय अस्पतालों में विश्वास ही नहीं है कि वहाँ पर ठीक इलाज होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में म.प्र. राज्य सर्वाधिक पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है जबकि छत्तीसगढ़ जो कभी म.प्र. का हिस्सा था वहाँ पर मध्यप्रदेश की तुलना में कहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है।

शासकीय अस्पतालों में उपचार प्राप्त करने वाले मरीजों का प्रतिशत -

राज्य	एक्यूट बीमारियों के मरीज	गंभीर Cronic बीमारियाँ से
मध्यप्रदेश	18.7	26.3
उत्तर प्रदेश	4.6	13.0
राजस्थान	39.9	50.3
झारखण्ड	9.7	14.8
छत्तीसगढ़	30.6	27.4
बिहार	4.8	8.5
उत्तरांचल	15.3	30.1
उड़िसा	55.3	52.7

प्लानिंग कमिशन आफइण्डिया द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के दल ने प्रतिवेदित किया है कि औसतन भारत का प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष लगभग 2500 रूपये स्वास्थ्य केयर पर खर्च करता है, परन्तु इसमें शासन केवल 675 रूपये व्यय करता है बाकी धन राशि प्रायवेट सेक्टर को जाती है। श्री सचिन जैन (विकास संवाद -भोपाल) माननीय उच्चतम न्यायालय के सलाहकार (भोजन का अधिकार) ने भी यही विचार व्यक्त किया है कि लगभग 90 प्रतिशत लोग स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहते हैं परन्तु वे शासकीय चिकित्सालय के बजाय प्रायवेट अस्पतालों का सहारा लेना बेहतर समझते है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे प्रतिवेदन दिसम्बर 2011 में मध्यप्रदेश

राज्य को कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं वाले 8 राज्यों- बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, ओड़िसा और राजस्थान के समकक्ष रखा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के संबंध में मध्यप्रदेश राज्य उन 18 राज्यों में सम्मिलित किया गया है जहाँ पर कमजोरतम स्वास्थ्य सेवा है और जिन्हें सुधारने पर ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाई गई है।

सामान्य स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जावे तो मध्यप्रदेश की स्थिति संतोषजनक नहीं दिखती है। मध्यप्रदेश में लिंगानुपात निम्नानुसार है:-

जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा केरल में जन्म के समय जीवित रहने की प्रत्याशा 74 वर्ष है जब मध्प्रदेश में 58-61 वर्ष है। (घरेलू प्रसव) दर- केरल में 14.8 गोवा में 13.2 मध्यप्रदेश में 27.3 प्रतिशत है। अर्थात् घरेलू प्रसव सहज एवं सरल स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण घरेलू प्रसव की स्थिति उत्पन्न हुई है।

मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति:-

एक लाख जीवित जन्म पर	-269
एक हजार जीवित जन्म पर	-62
मध्यप्रदेश- 2.00 जबकि केरल में	-2.9 है।

अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य संकेतक

High focus EAG Statues	life expectancy at Birth (2002-2006)	IMR 2010	MMR 2007-9	TFR 2010	Poverty level 2004-05	perception NSDP 2008-09 in Rs.	perception Health expenditure in Rs.
बिहार	16.6	48	261	3.7	14.4	10206	513
छत्तीसगढ़	-	51	-	2.8	40.9	19521	772
झारखण्ड	-	42	-	3.0	40.3	16294	500
मध्यप्रदेश	58.0	62	269	3.2	38.3	13299	789
उड़िसा	59.6	61	258	2.3	46.4	18212	902
राजस्थान	62.0	55	318	3.1	22.1	1970.8	761
उत्तरप्रदेश	60.0	61	359	3.5	32.8	12481	974
उत्तरखण्ड	-	38	-	2.55	39.6	25114	818
गुजरात	64.1	44	148	2.5	16.8	31780	95
केरल	74	13	81	1.8	15	35457	2950
महाराष्ट्र	67.2	28	104	1.9	30.7	33302	1212
पंजाब	69.4	34	172	1.8	8.4	33198	1359
तमिलनाडू	66.2	24	97	1.7	22.5	30652	1256
वेस्ट बंगाल	64.9	31	145	1.8	24.7	24720	1259
इंडिया	63.5	47	212	2.5	27.5	25494	1201

योजनावार प्रावधानों का विवरण

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन

मांग संख्या -19(बुक नं.-17) बजट 2013-14 के लिए आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना मद से निम्न शीर्षो (कार्यो) के लिए राशि आवंटन की गई है-

योजनावार प्रावधानों का विवरण

शीर्ष	नाम	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से आवंटन	अनुसूचित जाति उपयोजना मद से आवंटन
		आयोजना में आवंटित राशि (लाख)	आयोजना में आवंटित राशि (लाख)
		41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से	64 अनु.जाति उपयोजना से
4224	शिक्षा और प्रशिक्षण	80.00	60.00
4245	शीत ज्वर	245.00	180.00
5056	सामुदायिक स्वास्थ्य, उपस्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	365.00	275.00
5613	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	100.00	75.00
5724	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	8120.00	6080.00
6453	स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण (13वां वित्त आयोग)	1310.00	950.00
6837	राष्ट्रीय कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग नियंत्रण कार्यक्रम	30.00	00.00
6840	राष्ट्रीय वृद्धजन हेल्थ केयर कार्यक्रम योजना	100.00	00.00
6882	सामुदायिक स्वास्थ्य/उपस्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	100.00	75.00
7124	विनिर्मित तकनीक के साथ उपस्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	960.00	655.00
7131	नरसिंग सर्विसेज का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन	300.00	200.00
7132	राष्ट्रीय आयोडिन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम	12.00	8.00
7194	मोतियाबिंद हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	170.00	130.00
7195	सिकलसेल, एनेमिया, थैलेमिया	50.00	50.00

	रोकथाम योजना		
7197	ई.ए.पी. कास्ट शेयरिंग	1060.00	830.00
7202	नर्सिंग महाविद्यालय स्थापना	570.00	430.00
7203	पैरा मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना	170.00	130.00
7205	दीनदयाल चलित अस्पताल	285.00	215.00
7314	ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	555.00	430.00
8798	चिकित्सालयों का उन्नयन (वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, अनुरक्षण कार्य सामग्री एवं पूर्तियाँ, मशीने और संयंत्र पर व्यय)	2460.00	1840.00
	कुल योग	**17042.00** (एक सौ सत्तर करोड़ बयालीस लाख)	**12613.00** (एक सौ छब्बीस करोड़ तेरह लाख)

उपरोक्त मदों में दिये गये आवंटन को सूक्ष्म रूप से आवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उपयोजना मदों की अधिकांश धन राशि निर्माण संबंधी गतिविधियों पर व्यय की जा रही है। निसंदेह स्वास्थ्य सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराई गई यह एक बड़ी राशि है. यदि इन वर्गो के स्वास्थ्य के लिये यह राशि खर्च की गई होती तो आदिवासी क्षेत्रों एवं नगरीय झुग्गी-झोपड़ियों में निवासरत् अजा/जजा के लोगों को कुपोषण, रोगगृस्तता, से मुक्ति मिल सकती है। इन वर्गो में व्याप्त उच्च स्तर की शिशु मृत्युदर, मातृमृत्युदर, बाल मृत्युदर में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है, हमारी चिन्ता का विषय यह है कि स्वास्थ्य संबंधी संकेत विशेष रूप से अजा/जजा समुदाय के संबंध में आशानुरूप नहीं है।

इस बुलेटीन का उद्देश्य योजना बनाने वाले बजट प्रस्ताव तैयार करने वालों एवं विकास संबंधी सोच रखने वालों लोगों का ध्यान आकर्षित कराना है। हम आशा करते है कि अजा/जजा के लोगों के स्वास्थ्य के लिये व्यय की जा रही धनराशि का समुचित उपयोग हो। व्यय में पारदर्शीता हो एवं हितग्राहियों के नाम/विवरण आदि प्रकाशित हो। आवंटित राशि में वृहत पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्य किये जा रहे है, क्या यह निर्माण कार्य आदिवासी/अनु.जाति बाहुल्य क्षेत्रों में किये जा रहे हैं अथवा अन्य स्थानों पर यह समीक्षा करने का विषय है। हमारा विश्वास है कि जनप्रतिनिधि इन विषयों पर जरूर ध्यान देंगे।

उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन को दिया गया आवंटन

मांग संख्या -44(बुक नं.-38) वर्ष 2013-14 के लिए उच्च शिक्षा विभाग को आदिवासी एवं अनुसूचित जाति उपयोजना से दिये गये बजट आवंटन का उपयोग किन-किन कार्यो के लिये उच्च शिक्षा विभाग व्यय करेगा ? यह निम्नानुसार है:-

योजनावार प्रावधानों का विवरण

शीर्ष	नाम	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से आवंटन	अनुसूचित जाति उपयोजना मद से आवंटन
		आयोजना में आवंटित राशि (लाख)	आयोजना में आवंटित राशि (लाख)
		41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से	64 अनु.जाति उपयोजना से
3446	महाविद्यालयों में खेल कूद प्रोत्साहन के लिये	15.00	15.00
4934	भोज खुला वि.वि. के लिये	5.00	10.00
5086	महाविद्यालय भवनों के निर्माण के लिये	340.00	85.00
5476	प्रतिभा किरण योजना के लिये	15.00	15.00
5550	पुस्तकालय के विकास के लिये	25.00	25.00
5551	आधुनिक तकनीक से शिक्षण व्यवस्था के लिये	20.00	30.00
5553	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शोध छात्रवृत्ति के लिये	2.00	3.00
5565	प्रयोगशाला उन्नयन के लिए	60.00	15.00
6916	गांव की बेटी योजना के लिए	160.00	200.00
7173	छात्राओं के आवागन सुविधा के लिए	100.00	100.00
8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्य (मशीने और संयंत्र क्रय हेतु)	90.00	160.00
	कुल योग	**832.00** (आठ करोड़ बत्तीस लाख)	**658.00** (छः करोड़ अट्ठावन लाख)

उपरोक्तानसुार मांग संख्या 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से कुल रूपये 8 करोड़ 32 लाख एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना से कुल रूपये 6 करोड़ 58 लाख का आवंटन उच्च शिक्षा विभाग को सन् 2013-14 में किया गया है। इस आवंटन का सीधा लाभ आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों को पहुँचेगा, यह प्रश्न अनुत्तरित है। म.प्र. शासन का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करने की आवश्यकता है। दोनों उपयोजनाओं से उच्च शिक्षा विभाग को इन पॉच कार्यो के लिए दिये गये आवंटन जैसे-(1) छात्रों के लिये पुस्तके आदि का प्रदाय। (2) युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना। (3) पी.एच.डी. अध्ययनरत् विद्यार्थियों को सहायता। (4) आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय तथा (5) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध छात्रवृत्ति युक्तिसंगत प्रतीत होता है, परन्तु लाभान्वित छात्रों एवं व्यक्तियों की जानकारी प्रकाशित की जावे तो वास्तविकता और अधिक पारदर्शी रूप से सामने आ सकती है। उच्च शिक्षा विभाग को दिये गये बजट आवंटन का सीधा लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्राप्त होगा। यह शंकास्पद है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि का उद्देश्य पूर्ण व्यय नहीं किया जाना एक गंभीर विषय है। हम यहॉं पर यह संकेत देना चाहते है कि शासन को बजट तैयार करते समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितों का ध्यान रखना चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा है कि यदि आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना की राशि का उद्देश्य पूर्ण उपयोग होता है तो निश्चित ही इन वर्गो के लोगों के लिये विकास कार्यो को अधिक गतिशील किया जा सकता है। चिन्ता करनी चाहिए की इन वर्गो को सामानता के स्तर पर लाने के लिए राज्य शासन को अपने आय के स्त्रोतों से अधिक धन राशि का व्यय करना होगा साथ ही साथ उपयोजना की राशि का शतप्रतिशत व्यय उसके वास्तविक हितग्राहियों पर ही किया जाना चाहिए।

चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. शासन

मांग संख्या -73 (बुक नं.-51) चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन बजट 2013-14 के लिए आदिवासी क्षेत्र उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना से दिये गये आवंटन निम्न कार्यो के लिए दिया गया है।

योजनावार प्रावधानों का विवरण

शीर्ष	नाम	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद से आवंटन	अनुसूचित जाति उपयोजना मद से आवंटन
		आयोजना में आवंटित राशि (लाख)	आयोजना में आवंटित राशि (लाख)
		41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से	64 अनु.जाति उपयोजना से
4968	चिकित्सा महाविद्यालय (वेतन भत्ते, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय, मशीन उपकरण, अनुरक्षण, राशन का मूल्य भोजन व्यय मानदेय आदि पर व्यय होगा। (छात्रवृत्तियाँ एवं वृत्तियों को छोड़कर)	419.00	441.00
6974	सागर चिकित्सा महाविद्यालय	1950.00	00.00
	कुल योग	**2369** (तेईस करोड़ उनहत्तर लाख)	**441.00** (चार करोड़ इकतालीस लाख)

उपरोक्तानुसार आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से 23 करोड़ 69 लाख एवं अनुसूचित जाति उपयोजना से 4 करोड़ 41 लाख रूपयों का आवंटन दिया गया है। यह राशि उपयोजनाओं में निहित उद्देश्यों के अनुरूप नही है, यह राशि अजा एवं अजजा के हितों से सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभांवित नहीं करती है, दूसरे शब्दों में उपयोजना की राशि का नियमों के विपरीत व्यय किया जाना स्पष्ट होता है।

बजट एवं मानव विकास सूचनांक एवं बजट प्रावधानों की समीक्षा

बजट एवं मानव विकास का सूचनांक एक आईना है जो दिखाता है कि अनुसूचित जाति जन जाति के लोगों के उत्थान के लिए किये गये प्रयास कहाँ तक सफ्ल हुए हैं:-

1. साक्षारता 2001	भारत	मध्यप्रदेश
कुल जनसंख्या साक्षरता	64.8 प्रतिशत	64.11 प्रतिशत
एस.सी.	54.7 प्रतिशत	58.6 सामान्य से कम 6.5:

- शहरी महिला साक्षरता 57.50 प्रतिशत जबकि म.प्र. में 70.50 है।
- ग्रामीण महिला साक्षरता 37.8 प्रतिशत है जबकि म.प्र. में 42.30 है।
- एस.सी. में शिशु मृत्युदर एक माह के अंदर 50.2 प्रतिशत एक साल के अंदर 81.9 है 5 साल के अंतर 116.1 है। ?
- गरीबी रेखा के नीचे 42.8प्रति. ग्रामीण 67.3 शहरी गरीब एस.सी. के है। ?

2. अपराध नेशनल काईम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार -3040 अपराध मध्यप्रदेश में हुऐ हैं, जिनमें सर्वाधिक अपराध एस.सी. पर घटित हुए। ?

3. अनुसूचित जाति उपयोजना अनुसूचित जाति उपयोजना में बजट आवंटन वास्तविक व्यय को देखे तो 2010-11 तक पिछले 10 वर्षो में केवल 2 वर्षो को छोड़कर शेष 78 वर्षो में आवंटित राशि से 1121 करोड़ रूपये व्यय ही नहीं किये गये। औसतन लगभग 16 प्रतिशत आवंटन राशि का व्यय नहीं किया गया-

4. प्रतिव्यक्ति व्यय-

वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक सामान्य वर्ग का प्रतिव्यक्ति व्यय 5600 रूपये प्रतिवर्ष रहा वहीं एस.सी. पर प्रतिव्यक्ति व्यय रू. 1700 मात्र रहा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में सामान्य प्रतिव्यक्ति व्यय 9100 रूपये परन्तु अनु. जाति का प्रतिव्यक्ति व्यय मात्र 3700 रूपये रहा है। अब प्रश्न यह है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक शैक्षणिक बराबरी कहाँ से आयेगी ?

5. मध्यप्रदेश का विभागीय बजट-

म.प्र. राज्य के बजट में 53 में से केवल 33 विभाग ही एस.सी. के लिए बजट प्रावधान किये गये 20 विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा है।

6. आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारक:-

आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है:- 6-7 कारक आवश्यक है।

1. **Natural Resources** प्राकृतिक संसाधन: जिसमें सम्मिलित जलवायु, मिट्टी. वर्षा, खनिज एवं ऊर्जा के स्त्रोत आदि।

2. **Human Resources** मानव संसाधन: उत्पादक जनसमूह की संख्या एवं गुणवत्ता।

3. **Capital Formation** पूंज़ीगत परिनिर्माण: पूंजीगत संसाधन धन में उत्पादक क्षमता।

4. **Technological Advance** तकनीकी प्रगति: तकनीकी प्रगति से उत्पादन में वृद्धि एवं अधिक उत्पादन की क्षमता उत्पन्न करने के गुण ।

5. **Full utilization of capacity** देश के विभिन्न उत्पादन के स्त्रोतों का निपूर्णता पूर्वक उपयोग में लाने के गुण।

6. **Proper allocation of Resources** उत्पादन के विभिनन स्त्रोतों को उचित ढंग से वितरित करने का गुण।

7. **Appropriate Environment** उपयुक्त वातावरण: इसके अंतर्गत निम् बातें आवश्यक है:- - सक्षम नियोजनकर्ता वह है जो उत्पादन के स्त्रोतों की उचित ढंग से पूर्ण क्षमता पर नियोजित कर सके- शासन की उचित नितियाँ, ईमानदार, मशीनरी, उपयुक्त योजनाएं।

- जनसमर्थन एवं दीर्घकालीन सुरक्षा का पक्का विश्वास।

7. अजा/जजा कहाँ है:-

उपरोक्त विकास संबंधी आवश्यक घटकों/या कारकों पर विचार करें तो एस.सी./एस.टी. के संबंध में विचार करें तो हम पाते हैं:- कि उनके पास उपरोक्त

(1) विकास संबंधी कोई घटक उपलब्ध नहीं है: जैसे- विशेषकर अनुसूचित जाति के पास एस.सी./के पास जमीन, जल, जंगल उपलब्ध नहीं है अर्थात् प्राकृतिक संसाधन जो इनकें पास सदियों से नहीं है। (2) उत्पादन जन समूह है परन्तु उत्पादकता का आभाव है अशिक्षा, कूपोषण, गरीबी, लाचारी के कारण मानव संसाधन संख्यात्मक होते हुए भी उनकी कार्यक्षमता तुलनात्मक दृष्टि से नगण्य है।

(3) पूँजी से इनको सदैव वंचित रखा गया।

(4) शिक्षा एवं तकनीकी ज्ञान का इन्हें अक्सर ही नहीं मिला।

(5) नेतृत्व एवं क्षमता को प्रदशित करने का मौका नहीं दिया।

(6) शासनतंत्र ने भी उन्हें उत्पादन के स्त्रोत से अलग ही रखा।

(7) उपयुक्त वातावरण:- छल, कपट, शोषण, अत्याचार, व्यभिचार आदि क्या-क्या नहीं हुआ और अभी भी जारी है. ऐसे में इनके आर्थिक विकास की कल्पना करना कोई सार्थकता नहीं रखता है।

8. अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना-) क्या है ?

आजादी के पूर्व विशेष रूप से एस.सी. की क्या दुर्दशा थी उसे कहने की आवश्यकता नहीं है सब भली-भाँति परिचित है। आजादी के बाद स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्वला आदि का संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहब अंबेडकर ने व्याख्या कर उन्हें संविधान की आत्मा का स्वरूप दिया। प्रयास प्रारंभ हुए अजा/जजा के लोगों को बराबरी पर लाने के उपाय करना सरकारों का संवैधानिक आदेश है। प्रारंभिक वर्षो में सोचा गया कि

सामुदायिक विकास की योजनाओं का लाभ सब के साथ-साथ एस.सी./एस.टी. को भी स्वतः प्राप्त होगा, परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। सन् 80-50 में (छठवीं पं. यो) आजादी के 33 वर्षो बाद माननीय श्री योगेन्द्र मकवाना जो राज्यमंत्री गृह इनचार्ज एस.सी./एस.टी. एवं आदरणीय श्री पी.एस. कृष्णन सचिव भारत शासन, आदरणीय श्री भोला पासवान शास्त्री तत्कालीन सदस्य प्लानिंग कमिशन फॉर एस.सी./एस.टी. के प्रयासों से विशेष घटक योजना लागू हुआ और सामान्य बजट के अलावा अलग से एस.सी./एस.टी. के उत्थान के लिए उपयोजना के लिए पृथक से बजट प्रावधान किय गये परन्तु आज तक इन उपयोजनाओं का शतप्रतिशत लाभ एस.सी../एस.टी. को नहीं मिल पा रहा है लगभग करोड़ों रूपये खर्च होने के बाद भी प्रमुख रूप से मध्यप्रदेश में एस.सी./एस.टी. की स्थिति में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ। प्रमाणित तौर पर देखे तो विकास का मापदण्ड मानव विकास सूचकांक पर ध्यान देना आवश्यक है। यह प्रगति मापने का एक वैज्ञानिक आधार है।

9. अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति एवं मानव विकास सूचकांक-

1. शिक्षा के क्षेत्र में उनका न्यूनतम प्रतिशत
2. साक्षरता में उनका न्यूनतम प्रतिशत
3. स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक में, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, लिंगानुपात में सबसे न्यूनतम स्तर
4. कूपोषण सर्वाधिक
5. गरीबी रेखाः- बी.पी.एल. में सर्वाधिक संख्या 98 प्रतिशत बी.पी.एल. में
6. न्यूनतम आजीविका
7. बेरोजगारी
8. भूखमरी
9. गंभीर प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त, आदि मानव सूचकांकों में अनु.जाति की दयनीय स्थिति आज भी हैं। सोचिए की प्रतिवर्ष बजट में किये गये करोड़ों रूपयों का क्या होता है:- कतिपय प्रमाण इस प्रकार है-

मध्यप्रदेश में -

1. आवंटित राशि का शतप्रतिशत उपयोग कभी नहीं हुआ।
2. 53 विभागों में इसे केवल 33 विभागों ने एस.सी. के लिए बेमन से कार्यक्रमों को सम्मिलित किया 20 विभागों का ध्यान नहीं गया।
3. आवंटन का 60 से 70 प्रतिशत तक व्यय अन्य मदों में कर दिया जिनका एस.सी./एस.टी. से कोई संबंध नहीं है।

4. व्यक्ति, परिवार और बस्ती विकास मूलक योजनाएं जानबूझकर लागू नहीं की जा रही है।

5. बड़े पैमाने पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों की राशि का दुरूपयोग।6. प्रशासकीय तंत्र की उदासीनता यथास्थिति कायम रखने की नीति का पालन।

7. नवीन प्रयोगों का दरवाजा बंद कर रखा है।

8. एस.सी./एस.टी. समुदाय को भ्रम में रखना।

9. उत्पीड़न, अत्याचार को बराबर कायम रखना।

10. विरोध का निर्दयता पूर्वक दमन करना।

10. बजट का खर्चा कहाँ हो रहा है?

इन तमाम कारणों से उपयोजना की राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, परन्तु कुछ तो खर्च हो रहा है वह कैसे खर्च हो रहा है एक नमूना देखिए- उपयोजना मद में सामुदायिक विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे है:-

नवीन स्कूल खोले गये भवन बनाए गये, स्कूलों का उन्नयन किया गया, सर्व शिक्षा अभियान, छात्रावासों के भवन एवं उन्नयन स्कालरशीप, निःशुल्क पुस्तक, गणवेश, निःशुल्क मध्यान भोजन,निःशुल्क बाल स्वास्थ्य की सुविधा आदि दी जा रही है।

100 दिन की रोजगार देने की गारंटी है बी.पी.एल. का पूरा लाभ सस्ता अनाज दिया जा रहा है, निराश्रित, वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान, निःशुल्क परिवार कल्याण. प्रस्तुति सहायता, कन्यादान योजना, उद्यमिता विकास की योजनाओं का लाभ अत्याचारों की रोकथाम हेतु पृथक से कानून एवं न्यायालय, स्वसहायता समूह को ऋण, शिक्षा ऋण और यहाँ तक की आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता

और ऐसी अनेक विभागीय योजनाएं है जिनका सरकार दैनिक समाचारो में विज्ञापन देकर प्रचार-प्रसार कर रही है। इतना सब कुछ करने के बाद और क्या करें? यह प्रश्न प्रशासन के सामने सदैव उपस्थित रहता है। फिर भी एस.सी. /एस.टी. को बराबरी पर लाने की बात बहुत पीछे रह जाती है। क्या बाकी बचा जो सरकार ने नहीं किया? आज भी कहा जा रहा है इनके विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जावेगी- निसंदेह इन सब कार्यक्रमों को सुनकर एक साधारण सोच रखने वाला व्यक्ति भी सहसा कहेगा- कि सरकार ने तो बहुत कुछ किया परन्तु एस.सी./एस.टी. के लोग ही ऐसे है जो कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। शायद इनके भाग्य में विकसित होना लिखा ही नहीं है। यह निराशाजनक दृश्य अंदर से उद्वेलित करता है। जरा धरातल पर जाकर तो देखो इन तमाम लुभावनी योजनाओं का क्या हश्र है-

1. स्कूलो में आज भी दुर्व्यवहार, उपेक्षा, तिरष्कार झेल रहे है एस.सी./एस.टी. के बच्चे स्कालरशिप के वितरण में भ्रष्टाचार, छात्रावासों में शोषण, दुर्व्यवस्थाएं क्या बंद हो गई है।

2. द्रोणाचार्य मनोवृत्ति से शिक्षा दी जा रही है क्या इसे रोका जावेगा।

3. रोजगार गारंटी की योजनाओं की जमीनी हकीकत कोई अच्छी नहीं रही। इसी कारण आज सीधे बैंक खाते में राशि भेजने के उपाय सुझाएं जा रहे हैं क्या यह सोचने का विषय है– साफ बात है शोषण हो रहा है और उसे रोकना है। 4. अपराध, अत्याचारों में लगातार हो रही वृद्धि किस ओर ईशारा कर रही है क्या हमारी नीतियां निरर्थक नहीं हो रही है?

साथियों विचार करें कि किस बात की कमी रह गई है जो विकास में रोढ़ा बनी हुई है। मोटेरूप से तो कहा जा सकता है कि इन तमाम कार्यक्रमों और योजनाओं में सबसे बड़ी कमी यह है कि हमनें इन लोगों को सब कुछ दिया परन्तु स्वरोजगार करने की सुविधा छीन रखी है। यही बात बड़ा कारण है कि एस.सी./एस.टी. के लोग आज भी निराश्रित है असहाय है याचक बनकर रह गये हैं।

11. बजट कैसे बनता हैः-

बजट बनने के पहले सरकार आर्थिक सर्वेक्षण कराती है। आर्थिक विद्वानों द्वारा स्पष्ट रूप से अपने विचार भी रखे हैं नोबल पुरूस्कार प्राप्त डॉ. अमृत सेन ने इस संबंध में अपने गहन अध्ययन के बाद सुझाव दिये हैं, परन्तु हम लिब्रेलायजेशन, प्राइवेटाईजेशन, और ग्लोबलाईजेशन को अपनाकर हमने आर्थिक प्रगति के सोपान तो पा लिए परन्तु गरीब अमीर की खाई को कम नहीं कर सके। पंचायंती राज संस्थाओं द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक एवं नगर परिषद से लेकर महानगर पालिकाओं तक हमारी प्रशासकीय व्यवस्थाएं सक्षम है बजट तैयार करने में सांसद विधायक आदि जन प्रतिनिधियों का समाज में संपर्क है उनके सुझाओं का समावेश योजना बनाने में लागू करने एवं बजट प्रावधानों में उन योजनाओं को सम्मिलित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

प्रशासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी ग्राम स्तर से लेकर राज्य एवं केन्द्र स्तर तक नवीन योजनाओं के संबंध में अपनी नीतियों का समावेश करते रहे हैं। इस प्रकार देखा जाय तो ग्राम स्तर से लेकर केन्द्र स्तर के जन प्रतिनिधि, प्रशासकीय तंत्र एवं उद्योग व्यवसाय, कर्मचारियों, विभिन्न जन समुदाय, एन.जी.ओ. आदि के विचारों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया जाता है, परन्तु जिनके लिए योजनाएं बनाई जाती है वह उनको कोई नहीं पूछता है और यही असफलता का मूल कारण है।

समीक्षा के लिए लोक लेखा समितियाँ, महालेखाकार, आंतरिक आडिट, प्रेस, दूरदर्शन, बुद्धीजीवी, आलोचक, विचारक, अर्थशास्त्री आदि अनेक प्रकार से शासन की योजनाओं पर गहन चर्चा प्रायः होती रहती है, बजट भी उसी का एक विषय रहता है यह सब अनवरत चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा परन्तु बजट के कार्यक्रमों पर विस्तृत सर्वे, सूक्ष्म समीक्षा करने की आवश्यकता सदैव रही है।

12. एक नवीन विचार समावेशी विकास का आजकल प्रयोग होने लगा है। इसमें सम्मिलित **Inclusive Growth** अन्यन्य वृद्धि/समावेशी विकास–

1. **Opportunity** अनेक भिन्न–भिन्न प्रकार के विकास के अवसर उपलब्ध कराया जावेगा।
2. **Capability** क्षमता में वृद्धि के तरीके एवं उपलब्ध अवसरों का समुचित लाभ उठा सके।
3. **Access** संसाधनों तक पहुँच एवं उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग करने के अधिकार प्रदान किये जावे.।
4. **Security** पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जावें

समावेशी विकास (Inclusive Growth)- को एक ऐसी आर्थिक वृद्धि से परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद से सुदृढ़ विकास प्राप्त हो सके जिसमें सब को पर्याप्त उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण क्षमता के साथ विदोहन हो एवं उनका उपभोग किया जाकर सुरक्षा एवं शांति के साथ जीवन यापन किया जा सके।

ऐसी स्थिति में लोगों को अपनी जीविकोपार्जन के वैधानिक अधिकार प्राप्त हो, उन्हें अपनी क्षमता का विकास करने, कौशल उन्नयन करने के अवसर प्राप्त हो, संसाधनों पर पहुँच संभव बन सके ऐसे उपाय करने की स्थिति को अन्यन्य वृद्धि या समावेशी विकास कहा जा सकता हैं।

यह सब अवधारणा सफल होगी तब जब, गरीबों को सुनिश्चित रोजगार मिले अपने पैरों पर खड़ा होने का आधार मिले। बिना किसी बाहरी सहायता से स्वयं अपना व्यवसाय करने में सुरक्षित अवसर मिले। यही आज का अनुसूचित जाति समाज अपेक्षा करता है।

निजी क्षेत्र में एस.सी/एस.टी को मौका नहीं

भारतीय उद्योग संगठन (CII) की उद्योगों की वार्षिक सर्वेक्षण 2008-09 शीर्षक वाली रिपोर्ट में निजी क्षेत्र में दलितों को नौकरियाँ देने के मामले में सबसे अच्छा रिकार्ड तमिलनाडू का है जहाँ कुल आबादी का 20 प्रतिशत एस.सी. एस.टी. है वहाँ 18 प्रतिशत को निजी क्षेत्र में नौकरियाँ दी गई जबकि मध्यप्रदेश में कुछ आबादी का 35.5 प्रतिशत इस वर्ग के लोग है जबकि 11 फीसदी को ही नौकरियाँ दी गई।

राज्य	नौकरियाँ	आबादी का प्रतिशत	अंतर
मध्यप्रदेश	11	35.5	24.5
हिमाचल प्रदेश	12	28.7	16.7
राजस्थान	14	29.8	15.8
महाराष्ट्र	5	19.1	14.1
कर्नाटक	8.9	22.8	13.9
गुजरात	9	21.9	12.9
उत्तरप्रदेश	17	21.2	4.2
तमिलनाडू	17.9	20.0	20.1
दिल्ली	15	16.9	1.9

"न्याय, सुरक्षा एवं अजा/जजा सशक्तीकरण के लिए मांग का अधिकार पत्र"

1 **विशेष कानून बनाया जाए:**- केन्द्र तथा राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जनजाति उपयोजना (प्लानिंग, अलोकेशन एण्ड यूटीलाईजेशन ऑफ फाइनेन्सीयल रिसोर्सेस) एक्ट-बनाया जावे; जैसा कि आन्ध्रप्रदेश में उपरोक्त एक्ट नं.-1 वर्ष 2013 जो 25.01.2013 से लागू किया गया है, विशेष रूप से बनाया गया है। उसी के अनुसार कानून बनाया जाये। 2. यूनियन बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होना चाहिए। सभी मंत्रालयों/विभागों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि अनुसूचित वर्ग के लिए मिलने वाले लाभ केवल परिवार और व्यक्ति को ही मिलें।

3. योजना आयोग को एक स्थायी समिति का गठन करना चाहिए जो अनुसूचित जाति योजना एवं जनजाति उपयोजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करें। इसमें सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य का प्रतिनिधित्व हो साथ ही एक सदस्य योजना आयोग का भी होना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय की एक स्थायी समिति होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्यों में भी व्यवस्था की जाये।

4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नोडल विभाग एस.सी.पी. का प्रतिपादन एवं कार्यान्वय विशेष घटक योजना के लिए मंत्रालय के अंदर भी अलग से एक ब्यूरों का गठन किया जाना चाहिए जिसके प्रमुख संयुक्त सचिव केन्द्रीय मंत्रालय एवं राज्य मंत्रालय के होने चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में लागू होना चाहिए।

5. जिस फण्ड का इस्तेमाल न किया गया हो वह उस मंत्रालय/विभाग को दिया जाए जिसे सीधे अनुसूचित जाति एवं आदिवासी उपयोजना की योजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त फण्ड की आवश्यकता है। बिना इस्तेमाल किये फण्ड को 'रिवोल्विंग फण्ड' में क्रेडिट किया जाए और 'आकस्मिक फण्ड' के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति किसी भी प्रकार के अत्याचार की रोकथाम के लिए किया जा सके।

6. योजना आयोग और वित मंत्रालय या वित्त विभाग किसी भी मंत्रालय के बजट डिमांड को स्वीकार न करें जब तक कि उसमें एवं के बजट आवंटन की योजना न हो।

7. जो मंत्रालय/विभाग इस बात से इंकार करें कि वे अजा/जजा के विकास के लिए विभाज्य योजना नहीं अपनाएंगे, उन्हें फण्ड सीधे अनुसूचित जाति विकास और आदिवासी उपयोजना के लिए फण्ड आवंटित नहीं किया जाए अथवा उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

8. बजट आवंटन में अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति के लिए आनुपातिक हिस्सेदारी होनी चाहिए ताकि वे अर्थ बाजार में प्रवेश के योग्य बन सके और मार्केट कौशल का विकास कर सकें। इनको मिलने वाले फण्ड का इस्तेमाल न करने वालों अथवा उस फण्ड को किसी और काम के लिए परिवर्तित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

9. केन्द्रीय/राज्य एस.सी./एस.टी.वित निगम से मिलने वाली पूंजी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को व्यापर करने में सहायता मिल सके।

शिक्षाः- 1. सभी अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनिवार्य निःशुल्क, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए, स्कॉलरशिप की संख्या एवं राशि पढ़ाई जाए, एस.सी. स्कूलों में बेहतर आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाए, इसके अलावा व्यावसायिक एवं बाजार की जरूरत के अनुसार रोजगारपरक शिक्षा दी जाए।

2. विश्वविद्यालयों शैक्षणिक व स्वायत व पंजीकृत संस्थाओं में भेदभाव रहित नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

3. भारत के सभी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति होने वाले छुआछुत और भेदभाव को खत्म करने के लिए प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिए।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति के स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी मासिक स्कालॅरशिप की राशि बढ़ायी।

5. राज्य के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सामाजिक न्याय शिक्षा को भी शामिल किया जाना चाहिए।

6. प्राइमरी स्तर से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एस.सी. बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दी जाए।

7. जिन इलाकों में एस.सी. जनसंख्या का 20 प्रतिशत से अधिक है वहाँ एस.सी. बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोले जाए।

आरक्षण नीति

1. सभी मंत्रालय/विभाग एस.सी./एस.टी. कोटे की पिछली रिक्तियों को भरने हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करें।

2. मिलजुल कर ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए जिससे एस.सी./एस.टी. के 'ए' और 'बी' ग्रुप की नियुक्तियां प्रदान की जा सकें। कमजोर वर्ग के एस.सी./एस.टी. बच्चों को राज्य के खर्च पर अच्छी गुणवत्ता वाली निःशुल्क शिक्षा दी जाए।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को निजी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे रोजगार बतौर निजी पूंजी बाजार, निजी शिक्षा एवं आवास, उपभोक्ता उपभोग समान बाजार आदि में सहायता प्रदान की जाए।4. न्यायपालिका रक्षा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, केबिनेट एवं निजी विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण दिया जाए।

रोजगार

1. बंधुआ मजदूरी व्यवस्था (निषेध) अधिनियम 1976 को सख्ती से लागू किया जाए।

2. रोजगार गांरटी योजना एवं अन्य रोजगार योजनाओं में एस.सी./एस.टी. लोगों को प्राथमिकता दी जाए।

3. पारिवारिक व्यवसाय जिनमें अच्छी आय हो उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए। इन्हीं व्यवसायों के इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः रचना की जाएं।

4. कृषि क्षेत्र के अलावा राज्य को बेरोजगार युवकों के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिले।

5. कारपोरेट सेक्टर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझे और जहाँ पर एस.सी./एस.टी. जनसंख्या अधिक है उन गाँवों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत करें ताकि वहाँ अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकें।

6. केन्द्र खरीद कोटा में 30 प्रतिशत का प्रावधान अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के लिए सुनिश्चित करें।

7. एक नई योजना की पहल की जाए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय की सरकारी/निजी नौकरी छूटने पर इस समुदाय के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु फंड कंपनी क्षेत्रों से आना चाहिए।

स्वास्थ्य-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।

2. स्वास्थ्य के प्रति प्राप्त सुविधाएं लिए स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाली संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि को निगरानी करनी चाहिए।

3. विकास की योजनाओं की प्लानिंग में अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वास्थ्य की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सशक्तिकरण-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास के लिए राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अलग से मंत्रालय अनुसूचित जाति/जनजाति उत्थान मंत्रालय का गठन किया जाए।

2. मैला ढोने का कार्य और शुष्क शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम 1993 का कार्यान्वयन कर मैला प्रथा से जुड़े लोगों का पुनर्वास कर उन्हें प्रतिष्ठित रोजगार उपलब्ध कराकर मैला प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए और इस अधिनियम के तहत इस नियम के उल्लंघन करने वालों को दण्डित किया जाए विशेष कर रेल्वे, रक्षा एवं स्थानीय शहरी निकायों को।

3. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को न्यायिक एवं कार्यकारी सशक्ति के साथ स्थायी अवधि दी जाए।

4. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय एस.सी./एस.टी. आयोग और सफाई कर्मचारी आयोग की साल भर की रिपोंट और किये गये कार्यो की रिपोंट सार्वजनिक की जाए साथ ही पार्लियामेंट और विधानसभा में वार्षिक रिपोंट पर होने वाली बहसों को सुनिश्चित किया जाएं।

अपराध व न्याय 1. अनुसूचित जाति/जनजाति आत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा अधिनियम 1995 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के संबंध में कानूनों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और दबंग जाति के नेताओं और जातिवाद को बढ़ावा देने वाले तथा उन पुलिस वालों को जो जान बूझकर अनुसूचित जाति के केस दर्ज नहीं करते उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

2. निम्न संदर्भों में अत्याचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

- विशेष अदालतें गठित की जाएं।
- विशेष (सरकारी वकील) नियुक्त किए जाएं।
- विशेष जॉच एजेंसियों का गठन किया जाएं।

3. यह राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान करें और वहॉं कमजोर वर्ग की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात करें।

4. मामले दर्ज करते वक्त यह ध्यान रखा जाए कि यह जातिगत भेदभाव का मामला तो नहीं है। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान और नि:शुल्क होनी चाहिए तथा सरकारी तंत्र और पुलिस इतनी सक्रिय होनी चाहिए कि दलितों के लिए न्याय सुनिशित किया जा सकें।

महिला एवं बाल अधिकार

1. दलित महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तीकरण की मांग की जाएं और उनके खिलाफ होने वाले विभिन्न प्रकार के भेदभावों को चिन्हित किया जाए। खासकर महिलाओं की सुरक्षा, भूमि एवं संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार का विशेष ध्यान दिया जाए। राजनैतिक क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाएं जो राजनीति में है वो अपनी जिम्मेदारियॉं स्वयं निभाएं न कि दबंग वर्ग के हाथों कि कठपुतली नहीं बनें।

2. महिलाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को एक अलग वर्ग से पहचान मिलें और अलग से इन महिलाओं के आकड़े तैयार किए जाए।

3. बजट के अंतर्गत जो फण्ड आवंटित किया गया है उसमें से आधा महिलाओं के लिए आवंटित किया जाए।

4. महिला आरक्षण बिल में अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं के लिए सीटें आवंटित की जाएं।

IC-100
15334
Community Health Library and Information Centre (CLIC) * CPHE - SOCHARA Koramangala Bangalore - 34

5. अजा/जजा बच्चों के बालश्रम से मुक्त कराया जाए, जो अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चे जोखिम भरे काम कर रहे हैं उन्हें मुक्त कराने को फोकस किया जाए। विशेष कर अनुसूचित जाति/जनजाति बालिकाओं की असुरक्षा उन्हें दूसरे स्थान पर ले जाकर देह व्यवहार में ढकेलना आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए।

6. बाल श्रमिकों खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति बाल श्रमिकों की दयनीयता को देखते हुए, बाल श्रम (निषेध) अधिनियम 1986 का सख्ती से लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. यूनियन बजट में बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में खास कर अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चों की सुरक्षा के संदर्भ में सुरक्षा योजनाओं को लागू किया जाए जैसे आईसीपीएस, एनएसीएलपी, जुवेनाइल कोर्ट की योजना तथा अवैध व्यापार से पीड़ित बच्चों के लिए आश्रय घरों की संख्या बढ़ाई जायें।

भूमि अधिकार-

1. प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार के लिए कृषि, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त कृषि योग्य भूमि का वितरण, सरकारी राजस्व भूमि, मंदिर भूमि आदि का विशेष रूप से वितरण होना चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो सरकार कृषियोग्य भूमि खरीद कर अनुसूचित जाति/जनजाति में वितरण करें। देश की प्रत्येक अनुसूचित जाति/जनजाति महिला को पांच एकड़ शुष्क भूमि या 2.5 एकड़ नम भूमि मिलनी चाहिए।

2. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर वैधानिक कमिटी का गठन किया जाए जो निश्चित समय सीमा के बीच यह पहचान करें कि वंचित अनुसूचित जाति/जनजाति द्वारा कब्जा तो नहीं किया गया। उनकी भूमि के दुरुपयोग के कारण उन्हें हरजाना भी मिलना चाहिए और भूमि के असली अनुसूचित जाति/जनजाति मालिक को वह भूमि सौंप दी जाए। इसके साथ ही गैर कानूनी रूप से भूमि हथियाने वाले दबंग व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

3. एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी बनाया जाना चाहिए जिसमें यह विचार किया जाए कि अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि की सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था की जाए। भूमिहीन किसानों को अतिरिक्त भूमि दी जाए ।वैधानिक रूप से कृषि मजदूरों को न्यूनतम एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

4. भू-दान की भूमि अभी भी भू-स्वामियों या उनके उत्तरधिकारियों के कब्जे में है या उनके राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति के अंतर्गत यह भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति के उचित जरूरतमंदों को वितरित कर दी जाए।

परिशिष्ट - 1
अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य संकेतक

High focus EAG Statues	life expectancy at Birth (2002-2006)	IMR 2010	MMR 2007-9	TFR 2010	Poverty level 2004-05	perception NSDP 2008-09 in Rs.	perception Health expenditure in Rs.
बिहार	16.6	48	261	3.7	14.4	10206	513
छत्तीसगढ़	-	51	-	2.8	40.9	19521	772
झारखण्ड	-	42	-	3.0	40.3	16294	500
मध्यप्रदेश	58.0	62	269	3.2	38.3	13299	789
उड़िसा	59.6	61	258	2.3	46.4	18212	902
राजस्थान	62.0	55	318	3.1	22.1	1970.8	761
उत्तरप्रदेश	60.0	61	359	3.5	32.8	12481	974
उत्तरखण्ड	-	38	-	2.55	39.6	25114	818
गुजरात	64.1	44	148	2.5	16.8	31780	95
केरल	74	13	81	1.8	15	35457	2950
महाराष्ट्र	67.2	28	104	1.9	30.7	33302	1212
पंजाब	69.4	34	172	1.8	8.4	33198	1359
तमिलनाडू	66.2	24	97	1.7	22.5	30652	1256
वेस्ट बंगाल	64.9	31	145	1.8	24.7	24720	1259
इंडिया	63.5	47	212	2.5	27.5	25494	1201

Source- Annual Report to the people on Health December 2011.

परिशिष्ट - 2
GUIDELINE FOR SCSP & TSP

D.O. No._M-13054/2/2005-BC

CHANDRA PAL
ADVISER
(MLP/SP(E), SCP & TSP)
TeleFax: 23096584

PLANNINGCOMMISSION
GOVERNMENT OF INDIA
YOJANA BHAWAN
SANSAD MARG
NEW DELHI-110001

January 12, 2006.

Dear Sir,

Special Component Plan (SCP) for Scheduled Castes (SCs) and Tribal Sub Plan (TSP) for Scheduled Tribes (STs) have been important strategies used in the planning process for quite some time in order to ensure that outlays and benefits from the general sectors of the Plans flow to SCs and STs at least in proportion to their population both in physical and financial terms. Hon'ble Prime Minister in the 51st NDC Meeting held on 27.6.2005 has emphasized that "SCP and TSP should be an integral part of Annual Plans as well as Five Year Plans, making provisions therein non-divertible and non-lapsable with the clear objective of bridging the gap in socio-economic conditions of the SCs and STs within a period of 10 years". In this regard, detailed guidelines, additional guidelines have also been issued by the Planning Commission to the States/UTs by way of reiteration of the existing instructions, relating to the formulation and implementation of SCP/TSP at the State/ UT level (vide reference D.O.No.M-13011/3/2005-SP-Co. dated 31-10-2005 and D.O.No.M-13054/2/2005-BC. dated 28-12-2005).

2. Planning Commission has set up a dedicated "Special Component Plan (SCP) and Tribal Sub Plan (TSP) Unit and I have taken over charge of this Unit. This Unit has been set up for monitoring the implementation of the recommendations of the Inter-Ministry Task Group Report on the Development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to review and monitor the SCP and TSP of States/UTs and Central Ministries/ Departments.

3. It is reiterated that only those schemes should be included under SCP/TSP that ensure direct benefits to individuals or families belonging to SCs & STs. The information regarding the flow of funds to SCP and TSP of your State (Budget, Allocation, Sanction and Expenditure) during 9th Plan and the first four years of Tenth Five Year Plan (2002-06) and the details of the schemes/programmes covered for the development and welfare of SCs & STs along with their physical and financial performance may be sent to Planning Commission. In this regard, additional guidelines for preparing important schemes/programmes and performance for monitoring physical and financial performance by the State Government are enclosed for ready reference.

4. It may also be ensured that the State allocates SCP and TSP funds in proportion to the SC and ST population in the State during Annual Plan 2006-07. It is also reiterated that Secretary, Social Welfare/Tribal Welfare should be the nodal Officer in the designing of schemes/programmes of SCP and TSP and allocation of funds to the implementing Departments/agencies. If it is not feasible, a dedicated Unit of SCP and TSP may be constituted in the Planning Department of the State with the Secretary, Social Welfare/Tribal Welfare as nodal Officer for designing, implementing and monitoring of SCP and TSP schemes/programmes in the State.

With regards,

Yours sincerely,

(Chandra Pal)

Encl: As above

To Chief Secretaries of All States
(except Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh)

परिशिष्ट - 3

THE SCHEDULED AREAS ORDER 2003

THE GAZETTE OF INDIA

EXTRAORDINARY

PART II – SESCTION 3 – SUB SECTION (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th Feb.'03

G.S.R. 114(E). The following order made by the President is published for the general information C.O.192:-

THE SCHEDULED AREAS ORDER 2003

In exercise of the power conferred by sub paragraph (2) of paragraph 6 of the fifth scheduled to the constitution of India, the President here by rescinds the Scheduled Areas (States of Bihar, Gujrat, Madhya Pradesh and Orissa) Order, 1977, in so far as it related to the areas now comprise to the states of Chattisgarh. Jharkhand and Madhya Pradesh and in constitution with the Governors of the States concerned is pleased to make the following Order namely:-

1. *(1)* This order may be called the scheduled areas (States of Chattisgarh, Jharkhand & Madhya Pradesh) Order, 2003.

   (2) It shell come into force at once.

2. The areas specified below are here by redefined to be the Scheduled areas within the states of Chattisgarh. Jharkhand & Madhya Pradesh :-

Madhya Pradesh

1. Jhabua district.
2. Mandla district
3. Dindori district.
4. Barwani district.
5. Sardarpur, Dhar, Kukshi, Dharampuri, Gandhwani and Manawar tahsil in Dhar district.
6. Bhagwanpura, Segaon, Bhikangaon, Jhirniya, khargoan and

Maheshwar tahsils in Khargoan (West Nimar) district.

7. Khalwa Tribal Development block of Harsud tahsil and khaknar Tribal Development block of khaknar tehsil in khandwa (East Nimar) district.

8. Sailana and Bajna tahsils in Ratlam district.

9. Betul tahsil (excluding Betul Development Block) and Bhainsdehi and shahpur tahsils in Betul district.

10. Lakhnadone, Ghansaur and Kurai tahsils in seoni district.

11. Bihar tahsil in Balaghat district.

12. Kesla Tribal Development Block of Itarsi tehsil in Hoshagabad district.

13. Pusparajgarh, Anuppur, Jaithari, Kotma, Sohagpur and Jaisinghnagar tahsils of Shahdol district.

14. Pali Tribal Development Block in Pali tahsil of umaria district.

15. Kushmi Tribal Development Block in Kusmi tahsil of Sidhi district.

16. Karahal Tribal Development block in Karahal tahsil of Sheopur district.

17. Tamia and jamai tahsils, Patwari circle nos. 10 to 12 and 16 to 19. Villages. Siregaon khurd and kirwari in Patwari circle no. 09, villages Mainawari and Gaulie Parasia of patwari circle no. 13 in Parsia tahsil, village Bamhani of patwari circle no. 25 in Chindwara tahsil, Harai Tribal Development Block and patwari circle nos. 28 to 36,41,43,44 and 45B in Amarwara tahsil. Bichhua tahsil and patwari circle nos. 05, 08, 09, 10, 11, and 14 in Saunsar tahsil, patwari circle nos. 01 to 11 and 13 to 26, and patwari circle no. 12 (excluding village bhuli), village Nandpur of patwari circle no. 27, villages Nilkanath and dhawdikhapa of patwai circle no. 28 in Pandurna tahsil of Chindwara district.

3.Any reference in the preceding paragraph to a territorial division by whatever name indicated shall be construed as a reference to the territorial division of that name as existing at the commencement of this order.

A.P.J. ABDUL KALAM

PRESIDENT

[F.No. 19(5)22002-L-1.]

SUBHASH C.JAIN, Secy.

परिशिष्ट - 4

आदिवासी जिलों का सूची मध्यप्रदेश

1	अलीराजपुर	12	खण्डवा
2	अनूपपुर	13	खरगोन
3	बालाघाट	14	मंडला
4	बड़वानी	15	रतलाम
5	बैतूल	16	सिवनी
6	छिंदवाड़ा	17	शहडोल
7	धार	18	श्योपुर
8	डिण्डौरी	19	सीधी
9	होशंगाबाद	20	सिंगरौली
10	जबलपुर	21	उमरिया
11	झाबुआ		**कुल 21 जिले**

Allocation under Article 275-1 of the constitution for the year 2013-14 Madhya Pradesh -16950.00 (In Lakh)

State wise Allocation under the propermme SCA to TSP during 2013-14

Madhya Pradesh - 17525-00 (in Lakh)

For at Villages - 893 highest in country

Guideline to SCSP-TSP for planning commissioner htt.pwww.

परिशिष्ट - 5

विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित करने के मापदण्ड

भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की तीन जनजातियों बैगा, भारिया एवं सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त मान्यता भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर सुनिश्चित की जाती है:-

A कृषि में पूर्व प्रोद्यौगिकी स्तर

B साक्षरता का न्यूनतम स्तर

C अत्यन्त पिछड़े एवं दूरदराज के क्षेत्रों में निवास करना

D स्थिर या घटती जनसंख्या

मध्यप्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियां

क.	नाम	जनसंख्या	गांव	विकासखण्ड	जिले	रहवासी क्षेत्र
1	बैगा	1,31,425	1,143	22	06	मण्डला, शहडोल, डिण्डोरी, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट (बैहर)
2	सहरिया	4,17,171	1,159	26	08	ग्वालियर, चंबल संभाग के समस्त जिले
3	भारिया	2,012	12	01	01	पातालकोट, जिला छिन्दवाड़ा
	योग	5,50,608	2,314	49	15	

परिशिष्ट - 6

अनुसूचित जाति छात्रावासों/आश्रमों का संचालन
व रख रखाव पर व्यय

(राशि लाख में)

वर्ष	संचालन व रख रखाव		खर्च नहीं की गई राशि
	प्रावधान	व्यय	
2006-2007	7615.4	4611.29	3004.11
2007-2008	8746.29	7013.14	1733.15
2008-2009	9497.53	9113.66	383.87
2009-2010	10755.18	10605.74	149.44
2010-2011	11418.39	10856.64	561.75
2011-2012 (अक्टूबर 2011 तक)	12767.79	8915.55	3852.24

नोटः- उक्त पद में केन्द्र से राशि प्राप्त नहीं होती है।
संपूर्ण राशि राज्यांश मद की है।

परिशिष्ट - 7
प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान

1- आई.आई.एम., इन्दौर
2- आई.आई.एफएम., भोपाल
3- नेषनल इन्स्टीट्यूट ऑफफैषन टेक्नोलॉजी, भोपाल
4- नेषनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल
5- इ–डयन इन्स्टीट्यूट ऑफटूरिज़्म ए–ड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, ग्वालियर
6- लक्ष्मीबाई नेषनल इन्स्टीट्यूट ऑफफिज़िकल एजूकेषन, ग्वालियर
7- डॉ. हरिसिंग गौर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी, सागर
8- राजीव गाँधी टेक्नोलॉजीकल यूनिवर्सिटी, भोपाल
9- महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी, सतना
10- गाँधी मेडीकल कॉलेज, भोपाल
11- इ–डयन इन्स्टीट्यूट ऑफटेक्नोलॉजी (आई.आई.टी.), इन्दौर
12- इ–डयन इन्स्टीट्यूट ऑफहोटल मैनेजमेंट, भोपाल
13- इ–डयन इन्स्टीट्यूट ऑफइन्फॅर्मेषन टेक्नोलॉजी ए–ड मैनेजमेंट, ग्वालियर
14- नेषनल ज्यूडिषियल अकादमी, भोपाल
15- इन्स्टीट्यूट ऑफहोटल मैनेजमेंट, ग्वालियर
16- माखनलाल चतुर्वेदी नेषनल यूनिवर्सिटी ऑफजर्नलिज़्म, भोपाल
17- मौलाना आजाद नेषनल इन्स्टीट्यूट ऑफटेक्नोलॉजी, भोपाल
18- जवाहनलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जबलपुर
19- राजमाता विजयाराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ग्वालियर (म.प्र.)
20- म.प्र. भोज (ओपन) यूनिवर्सिटी, भोपाल
21- देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, इन्दौर
22- बरकतउल्लाह विष्वविद्यालय, भोपाल
23- जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर
24- एम.जी.एम. मेडीकल कॉलेज, इन्दौर
25- रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर
26- जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर
27- विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन
28- अवधेष प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, रीवा

परिशिष्ट - 8

अनुसूचित जातियों की जातिवार जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार निम्नानुसार हैं:-

(स्त्रोत-संचालक, जनगणना म.प्र.)

औधोलिया	117
गंडा-गंडी	1134
बाजरी, बागदी	250157
घासी, घसिया	6691
बहना बाहना	356
दोलिया	3844
बलाही, बलाहे	1105558
कंजर	11715
बूतचड़ा, बोछड़ा	23951
कनिया, कटिया, पथरिया	144644
बरहर बसोड़	82633
खटीक	118763
बरगुंडा	21399
कोली कोट	546081
बसोर, बुअद, बांसोर	262257
कोतवाल	15898
बेदिया	19388
खंगार, कनेरा, मिर्घा	145538
बेलदार, सुनकर	24235
कुचखंधिया	9499
मेहतर वाल्मिकी, भंगी	309921
कुम्हार	202723
भानुमति	1464
महारा, मेहरा, मेहर	673656
चादर, चड़ार	94870
मांग, मांग गारोड़ी,	24106
चमार, बैरवा आदि	4498165

मांग गारूड़ी	
चिड़ार	40472
मेघवार	42058
चिकवा, चिकवी	4045
मोघिया	25686
चितार	110
मुसखान	372
दहायत, दहाइत, दहात	52539
नट, कालबेलिया, सपेरा	71820
देवार	327
पारधी	15100
धानुक	70076
पासी	39382
धेड़-धेर	329
रूज्झर	1123
धोबी	38561
सोसी, सोसिया	4785
डोदोर	15954
सिलावट	41367
डोम डुमार	40593
जयटाल	5018

परिशिष्ट-9

वार्षिक बजट संक्षेपिका

Table 1

SCSP In Madhya Pradesh

Only SCSP Budget (In Cr)

Year	Revenue	Capital	Total
2008-09 AC	1266.6	818.7	2085.3
2009-10 AC	1533.3	842.2	2375.5
2010-11 AC	2104.5	1012.9	3117.4
2011-12 AC	2404.9	1082.3	3487.2
2012-13 RE	3367.8	1503.0	4870.8
2013-14 BE	3564.7	2016.2	5580.9
	14241.8	7275.3	21517.1

Table 2

Total Budget for Scheduled caste in Madhya Pradesh

(SCSP Budget + SC Welfare Welfare) In Madhya Pradesh (In Cr)

Year	Revenue	Capital	Total
2008-09 BE	1476.8	915.9	2392.7
2009-10 BE	1962.7	917.1	2879.8
2010-11 BE	2378.1	1005.9	3384.0
2011-12 BE	2759.5	1027.0	3786.4
2012-13 BE	3249.5	1681.2	4930.7
2013-14 BE	3648.3	2016.2	5664.5
	15474.9	7563.3	23038.1

Table 3

Total Actual Expenses for Scheduled caste in Madhya Prade:

(SCSP Budget + SC Welfare Welfare) In Madhya Pradesh (In Cr)

Year	Revenue	Capital	Total
2008-09 AC	1321.2	818.7	2139.9
2009-10 AC	1592.5	842.2	2434.8
2010-11 AC	2158.9	1012.9	3171.8
2011-12 AC	2465.8	1082.3	3548.0
2012-13 RE	3436.8	1503.0	4939.8
2013-14 BE	3648.3138	2016.1837	5664.4975
	14623.5	7275.2	21898.7

Table 4

Total Budget and Actual Expenses for Sheduled caste in Mac

(SCSP Budget + SC Welfare Welfare) In Madhya Pradesh (In Cr)

Year	BE	AC	Difference
2008-09	2392.7	2139.9	252.8
2009-10	2879.8	2434.8	445.0
2010-11	3384.0	3171.8	212.2
2011-12	3786.4	3548.0	238.4
2012-13	4930.7	4939.8	-9.1
2013-14	5664.5	0.0	0.0
	23038.1	16234.3	1139.3

Table A

TSP In Madhya Pradesh

Only TSP Budget (In Cr)

Year	Revenue	Capital	Total
2009-10 AC	**2233.0**	1245.0	3478.0
2010-11 AC	**3065.1**	1615.5	4680.6
2011-12 AC	**3599.0**	1906.4	5505.4
2012-13 RE	4720.3	2604.6	7324.9
2013-14 BE	**5106.0**	**2726.7**	7832.7
Total	18723.4	10098.2	28821.6

Table B

Total Budget for Scheduled Tribe in Madhya Pradesh

(TSP Budget + ST Welfare Welfare) In Madhya Pradesh (In Cr)

Year	BE	AC	Difference
2010-11	5618.3	5559.3	58.97
2011-12	6445.2	6459.1	-13.88
2012-13 RE	8213.8	8453.6	-239.81
2013-14 BE	9236.6	0.0	0.00
Total Budget	29513.9	20472.0	-194.72

जीवनचर्या

लोकशाही का वृक्ष हर किसी मिट्टी में नहीं बढ़ता, इसके लिए जरूरी है ,
जीवन मूल्य की चेतना इस चेतना को जागृत रखो।
जनतंत्र की आत्मा 'एक मनुष्य, एक मूल्य' के सिद्धांत में निहित है किंतु दुर्भाग्य से जनतंत्र ने
एक मनुष्य एक वोट के सिद्धांत को अपनाया है। यदि लोकतंत्र
'एक मनुष्य, एक मूल्य' के सिद्धांत की वास्तव में स्थापना करता है तो समाज की
राजनैतिक संरचना के साथ आर्थिक संरचना का स्वरूप भी सहज, निश्चित किया जा सकता है।

– डॉ. भीमराव अम्बेडकर